

# गरीबी भगाएँ - गरिमा बढ़ाएँ



-पं. श्रीराम शर्मा आचार्य



: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

VICHARKRANTI PUSTAKALAY  
SURAT, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,  
Uttaranchal, India – 249411  
Phone no : 91-1334- 260602,  
Website : [www.awgp.org](http://www.awgp.org)  
E-mail : [shantikunj@awgp.org](mailto:shantikunj@awgp.org)

Gayatri Tapobhumi,  
Mathura, U.P., India – 281003  
Phone no : 91-0565-2530128,  
Website : [www.awgp.org](http://www.awgp.org)  
E-mail : [yugnirman@awgp.org](mailto:yugnirman@awgp.org)

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India  
E-mail: [vicharkranti.awgp@gmail.com](mailto:vicharkranti.awgp@gmail.com) | Website : [www.vicharkrantibooks.org](http://www.vicharkrantibooks.org)



# ठरीबी भगाएँ, ठरिमा बढाएँ

लेखक :

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

[www.vicharkrantibooks.org](http://www.vicharkrantibooks.org)



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०११

मूल्य : ९.०० रुपये



## भूमिका

दरिद्रता से पीड़ितों के लिए सहयोग जुटाने की तरह ही उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि अपने व्यक्तित्व में दक्षता व्यवस्था तत्परता की कमी बनाये रखने वाला स्वभाव ही खुशहाली के मार्ग में भयानक चट्टान बन कर अड़ा हुआ है। यही दोष कभी अवसाद बनकर उत्पादन रोक देते हैं। कभी लापरवाही या अपव्यय बनकर साधनों को बरबाद कर देते हैं। उक्त दोषों के रहते धन का सहयोग उल्टे आलस्य तथा दुर्व्यसन पैदा कर देता है। जो उन्नति के स्थान पर दुर्गति का कारण बनता है।

यदि लोगों में प्रगति के लिए व्यापक उत्साह उभारा जा सके और उसके आधार के रूप में अपनी दक्षता तत्परता के प्रयासों को स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि गरीबी उन्मूलन की आधी योजना सफल हो गई। ऐसा होने पर उदारचेताओं, संस्थाओं, सरकारी सहयोगों की व्यवस्था बनाकर शेष आधा कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में बुरी तरह आहत जापान, जर्मन, रूस आदि ने थोड़े समय में ही आश्चर्यजनक उन्नति कर ली। किसी समय का अफीमची देश चीन आज बड़ों-बड़ों को आँख दिखाने की स्थिति में है। यह चमत्कार तब हुए जब जन-जन ने निज दक्षता, व्यवस्था और श्रमशीलता उभारी और जनशक्ति को कष्ट साध्य कर्मठता में नियोजित किया।



## गरीबी बनाम व्यक्तित्व की अनुत्पादकता

गरीबी से तात्पर्य है-वह आर्थिक तंगी जो अखरे और जिसके बिना जीवन निर्वाह में अड़चन पड़े । अपने देश में अधिकांश लोगों की ऐसी मनः स्थिति और परिस्थिति है जिनके अनेक कारण हैं । अदक्षता प्रथम कारण है और रोजगारों का न मिलना दूसरा । इसके अतिरिक्त भी अनेकों कारण हैं, पर इन दोनों का हल ढूँढ लिया जाए तो 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन को अधिकांश सफलता मिली समझी जा सकती है अन्यथा गरीबी के दबाव में व्यक्ति दिन-दिन पिछड़ता जायेगा । अपनी उन अमंगों को भी गँवा बैठेगा जो उन्नतिशील स्तर तक पहुंचाने की पृष्ठभूमि बनाती हैं । ऐसे लोगों का परिवार भी मुखिया का अनुसरण करता है, पिछड़ेपन का शिकार होता जाता है जबकि उन्हीं परिस्थितियों में पड़ौसी अपने उत्साह के आधार पर कहीं अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए बढ़ते ही जाते हैं ।

अदक्षता का सबसे बड़ा कारण है-शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद । यह एक प्रकार की अपंगता है जो प्रायः मनःक्षेत्र पर छाया रहती है । वह ढर्रे के क्रिया-कलाप तो किसी प्रकार पूरे कर लेती है, पर यह नहीं सोचने देती कि दक्षता या व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है क्या ? यदि है तो उसे किस प्रकार सम्भव किया जाना चाहिए । प्रगति के लिए आतुर इच्छा का होना आवश्यक है । मन पर मूर्खनामुर्दनी छाई रहे तो यथास्थिति, बनाये रहना भी कठिन हो जाता है । जो उठता नहीं वह गिरता है । यथास्थिति बनाये रहना तो थोड़े समय ही सम्भव होता है । पतन या उत्थान दोनों में से एक उसे अपनी ओर खींचने में सफल हो ही जाते हैं । जड़ता पत्थरों के लिए तो स्वाभाविक मानी जा सकती है, पर प्राणधारियों के लिए उसे अयोग्य ठहराया जाता है । फिर मनुष्य की विशेषता को देखते हुए उससे और भी अधिक आशा की जाती है । बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं में से जड़ें निकालता रहता है और



उन्हें नीचे जमीन में धँसाकर अधिक खुराक पाने और अधिक विस्तार करने में जुटा रहता है । यदि अवरोध बाधक न बना हो तो ऐसे कई वृक्ष असाधारण विस्तार करते और चकित कर देने वाला दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं । मनुष्यों के लिए उसकी चेतना को देखते हुए इच्छित दिशा में ऐसी ही प्रगति करते रहना सम्भव है, गरीबी की रेखा को लाँघते हुए समर्थ सम्पन्नता उपलब्ध कर सकना भी । पर उस प्रमाद को क्या कहा जाए जो उज्ज्वल भविष्य के सपने देखना तक सहन नहीं करता और भाग्य के भरोसे किसी प्रकार जिन्दगी के दिन काटते रहने की बात सोचकर अनिवार्य क्रियाशीलता न अपनाकर निष्क्रिय हो बैठता है । गरीबी से ग्रसित लोगों में से अधिकांश लोग मानसिक अवसाद के चंगुल में फंसे हुए होते हैं । छप्पर फाड़कर धन बरसने जैसे मिठे सपने उन्हें भले ही दीख जाते हों ।

मनुष्य की सामर्थ्य असाधारण है, उसका पूरा उपयोग बन पड़ने पर निर्वाह की मौलिक आवश्यकताओं में कमी पड़ने जैसी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती । पशु-पक्षी सर्वथा साधन रहित होते हुए भी शरीर यात्रा की आवश्यक साधन सामग्री अपनी अविकसित संरचना के सहारे भी जुटा लेते हैं और क्रीड़ा-कलोल करते, चहकते-उछलते जिन्दगी काट लेते हैं, पर मनुष्य ही क्यों दरिद्रता के चंगुल में जकड़ा रहता है ? उसे ही अभावग्रस्तता के कारण पगपग पर अपने अरमानों को क्यों कुचलना पड़ता है ?

अभावजन्य कष्ट सहना, उसके लिए भाग्य को या जिस-तिस को दोष देते रहना एक बात है और अपनी दक्षता एवं तत्परता को बढ़ाते हुए प्रगति का पथ प्रशस्त करना सर्वथा दूसरी । जिसमें चेतना जागृत होती है, उपाय खोजती है, अपनी श्रमशीलता और इच्छाशक्ति को जगाकर उसे आगे बढ़ने की दिशा में कुछ करने के लिए कुछ बदलने के लिए बाधित करती है उसके लिए मार्ग अवरुद्ध नहीं रह सकता । दरिद्रता उसके लिए अनिवार्य नियति बनकर नहीं रह सकती । मनुष्य

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ४



की प्रगति के इतिहास का हर पृष्ठ यही बताता है कि 'जिन खोजा तिन पाइयाँ' की उक्ति शत-प्रतिशत सही है। अमीबा से प्राणी और आदिमकाल के साधनहीन नर-वानर को आज के समय जैसा सभ्य और सुविधा-सम्पन्न बनने में उसकी प्रबल उत्कण्ठा ही प्रधान कारण रही है। उसके अभाव में क्षुद्र प्राणी किसी प्रकार उन्हीं परिस्थितियों में जीते मरते रहे हैं। प्रगति का लाभ उनके हिस्से में राई-रती भर भले ही आया हो। अब भी वनवासी कबीले उन्नत लोगों से दूर रहने का पूर्वाग्रह अपनाये हुए हैं और संसार के अनेक भागों में वे आदिमानव का प्रतिनिधित्व करते करते जहाँ-तहाँ एक कौतूहल के रूप में देखे जाते हैं। यदि उनमें कुछ प्रयत्न किया होता तो परिस्थितियाँ उनकी भरपूर सहायता करतीं। उत्तरी ध्रुव पर बसने वाले एस्किमो जाति के लोगों में कुछ ने कनाडा से भी ऊपर उत्तरी ध्रुव पर जाकर बसने का साहस दिखाया और वे अपने सजातीयों की तुलना में सभ्य समाज के सदस्य बनकर सुविधा भरी परिस्थितियाँ हस्तगत करने में सफल हुए। यह उदाहरण अन्यत्र भी लागू हो सकता है। राजस्थान के गाड़िया लुहार अपनी यायाचर परम्परा के साथ इतनी बुरी तरह चिपके हुए हैं कि स्थाई निवास के लिए किए जाने वाले अनुरोध-अनुदान भी उन्हें रास नहीं आते। फलतः यथास्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अनुग्रहकर्त्ताओं की उदारता भी उनके लिए कुछ काम नहीं आती।

गरीबी की रेखा से अधिकांश देशवासियों को उबारने, उनके पनरुत्थान के लिए आवश्यक साधन प्रस्तुत करने की उदारता को न केवल अक्षुण्ण रहना चाहिए वरन् उसका अनुपात और भी बढ़ना चाहिए। इस मान्यता में भी बहुत कुछ सच्चाई है कि साधन मिलने पर उत्साह बढ़ता है और अनुकूलता प्राप्त करने के लिए प्रयास चलता है। सिद्धांतः इस प्रकार के चिंतन और प्रयास को भी सराहा ही जा सकता है, पर साथ ही उस मान्यता में एक कड़ी और भी जोड़नी

५ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



आवश्यक है कि यदि अभावजन्य असन्तोष को न उभारा जा सका और गरीबी का मूल कारण अपनी दक्षता और व्यवस्था में कमी को दोषी न ठहराया जा सका तो पिछड़ेपन का आत्यन्तिक निदान या समाधान सम्भव न हो सकेगा । बाहर से दी हुई सहायता पिछड़ी प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले अनेकानेक छिद्रों में होकर बह जायेगी और फूटे घड़े में पानी टिक न सकने का उदाहरण बनेगी । स्वतन्त्रता के बाद पिछले चालीस वर्षों में गरीबी हटाने के सरकारी अनुदानों में कोताही हुई है । यह लांछन कोई निष्पक्ष जन नहीं लगा सकता । फिर भी देखा जाता है कि पिछड़े क्षेत्र उतने ऊँचे नहीं उठ सके जितने कि कानूनी संरक्षण और आर्थिक प्रगति-प्रयासों के सहारे सम्भव हो सकता था । अर्थ साधन जुटाने की बात उचित भी है और सहज समझ में आने वाली भी, किन्तु ध्यान यह भी रखना चाहिए कि कुछ पा लेना एक बात है और उसका सही रीति से सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी । अर्थ-सहयोग की ही तरह दरिद्रता से पीड़ित लोगों को भी यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाये कि उनकी दक्षता और तत्परता में कमी किये रहने वाला स्वभाव भी खुशहाली के मार्ग में भयानक चट्टान बनकर अड़ तो नहीं रहा है ।

यदि यह कभी भी बाधक जान पड़े तो सम्मुनत वर्ग का कर्तव्य है कि दरिद्रता को ही नहीं वरन् उसका निमित्त कारण बन रही अकर्मण्यता को भी उखाड़ फेंकने वाला प्रचण्ड उत्साह उत्पन्न करें । इसके लिए जन सम्पर्क तो प्रमुख है ही, वैसा वृत्तान्त परिचयात्मक शैली में उनकी जानकारी में समाविष्ट किया जाये । इसके लिए चित्र प्रदर्शनी, स्लाइड प्रोजेक्टर से दिखाये जाने वाले प्रकाश चित्र, वीडियो फिल्में, नाटक, अभिनय, लोकगीत, लोकनृत्य जैसे अनेकों माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है । प्रगति मेले लग सकते हैं, जुलूसों, प्रभात फेरियों, पद यात्राओं, समारोह, आयोजनों, पंचायतों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है । उदासी हटे, उपेक्षा छटे,

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ६



यथास्थिति बनाये रहने वाले आलस्य-प्रमाद का दबाव घटे तब कहीं वह उमंग उभरे जो चट्टानों को चीरकर अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने का मार्ग बनाती है। प्राथमिक आवश्यकता इन दिनों इसी प्रचारात्मक प्रयोग की है, भले ही उसे कथा-वार्ताओं, सत्संग-कीर्तन जैसे धार्मिक प्रयोजनों द्वारा सम्पन्न किया जाये अथवा आधुनिक स्तर के उन उपचार-प्रयोजनों से जो अशिक्षित स्तर के लिए ग्रामक्षेत्रों में बसी हुई जनता के गले उतर सकें। प्रगति के लिए व्यापक उत्साह उभारा जा सके और इसके लिए निजी प्रयास-परिवर्तन को प्रमुख आधार सिद्ध किया जा सके तो समझना चाहिए कि गरीबी उन्मूलन की आधी योजना सफल हो गई। शेष आधी में समर्थों का सामयिक सहयोग ही शेष रह जाता है, जिसे व्यक्तिगत मानवी उदारता को जगाकर भी एक बड़े अंश में पूरा कराया जा सकता है। फिर सामाजिक संगठनों, अर्थ संस्थानों और सरकारी अनुदानों का अतिरिक्त समावेश भी जुड़ सके तो उसे सोने में सुहागा जुड़ जाने के सदृश ही कहा जायेगा। यदि इस ओर उपेक्षा बरती गई तो ऊपर से बरसने वाली मेघमालायें भी पथरीली जमीन पर हरियाली उगा नहीं सकेंगी। पानी जितनी तेजी से बरसा था उतनी ही तेजी से बहता हुआ नालों के तटबन्ध तोड़ेगा, बाढ़ जैसे विग्रह खड़े करेगा और दुर्व्यसनों की राह पर इस प्रकार खर्च होगा कि स्थिति पहले से भी अधिक बिगाड़कर रख दे।

संसार में ऐसे असंख्यों उदाहरणों के इतिहास पर्वत बनकर खड़े हैं जिनमें नितान्त गई-गुजरी परिस्थितियों में जन्मे बालक अपने स्वाभिमान का, आत्म-गौरव का, छिपे वर्चस्व का भान कर सकने में समर्थ हुए। ऊँचा उठने, आगे बढ़ने के लिए असामान्य तत्परता के साथ अपने व्यक्तित्व को, गुण-कर्मस्वभाव को इस योग्य बनाते चले गये जिनके रहते समुन्नत परिस्थितियों और तदनुरूप लोगों के परामर्श सहयोग अनायास ही खिंचते चले आये और उत्थान के अभियान में भरपूर सहायता दे सके। यही हैं उन सफलताओं के धनी लोगों के

७ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



सार-संक्षेप जिनने खड्डु से उबरकर समतल तक पहुँचने और समतल से पर्वत शिखर पर जा पहुँचने की कीर्ति ध्वजा फहराई । यह उदाहरण किन्हीं बिरलों पर ही लागू नहीं होता वरन् देखा जाता है कि अनीति से लोहा लेते हुए हर मनस्वी को आगे बढ़ने का मार्ग इसी प्रकार मिला है । जो इस लक्ष्य की उपेक्षा करते रहे और साधनों के बाहुल्य को ही सबकुछ मानते रहे तो वे दक्षता के अभाव में पूर्वजों की संचित सम्पदा को भी अपनी कुपात्रता के कारण गँवाते हुए चले गये और राजा से रंक बन गये ।

भौतिक दृष्टि से दरिद्रता के अनेक कारण हैं-पूँजी का अभाव, साधनों की कमी, परिस्थितियों की प्रतिकूलतायें, प्रकृति का असहयोग, भाग्य विधान, सहयोग दे सकने वालों की अनुदारता, प्रतिस्पर्धा, विरोधियों के व्यवधान आदि-आदि । इन सब कठिनाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को नकारा नहीं जा सकता । वे अड़चनें अपने-अपने अवसरों पर कम बाधा नहीं पहुँचाती हों-दरिद्रता से निपटने में कम अवरोध उत्पन्न न करती हों, सो बात नहीं है । इतने पर भी इस तथ्य को पत्थर की लकीर की तरह सुनिश्चित ही मान लेना चाहिए कि मनुष्य को अपनी गरिमा, क्षमता, दक्षता और समाधानों के प्रति मजबूत होना चाहिए । यह मानकर चलना चाहिए कि दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण मनुष्य के अपने ही व्यक्तित्व के साथ घुला हुआ अवरोध मात्र है । अदक्ष, अनुत्साही, अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त व्यक्ति पिछड़ेपन से कदाचित् ही कभी छुटकारा पा सके, उन्हें जल में रहकर मीन प्यासी का उदाहरण बने रहना पड़ेगा । प्रगतिशीलों ने अपने दृष्टिकोण, क्रिया-कलाप और उत्साह को रचनात्मक प्रयोजनों के लिए तन्मयतापूर्वक प्रयुक्त किया है साथ ही उन दुगुणों को छोड़ा भी है जो दूसरों की दृष्टि में अपने को हेय, उपेक्षणीय एवं हतभगी बनाते हैं-यही प्रगति व समृद्धि का राज मार्ग है ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ८



## ठाली एक क्षण के लिए भी न रहें

मौटे तौर पर गरीबी के लिए पूँजी की कमी और रोजगार की अनुपलब्धि को प्रमुख कारण माना जाता है। जो स्थिति को बदलना चाहते हैं वे इन्हीं अवरोधों को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। बैंकों से ऋण और विभागों द्वारा अनुदान देने की नीति इसी आधार पर अपनाई गयी है। नौकरी पाने या रोजगारों के चयन में पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त सुविधा देने का ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से भी विचारशीलों का यह कर्तव्य बनता है कि वे समता की स्थिति लाने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों के साथ अधिक उदारता बरतें। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनकी सहायता करें। गाँधीजी के खादी आन्दोलन के मूल में यही भवना काम करती थी। सरकारी विभागों में भी इस हेतु योजना के अनुरूप ध्यान रखा जाता है। प्रत्यक्ष दृष्टि से ऐसा करने वालों को उदारता का श्रेय मिल जाता है, इतने पर भी देखा जाता है कि जितने समय में जिस परिणाम की आशा की गई थी उसका एक छोटा अंश ही अभीष्ट सफलता के रूप में सामने आ रहा है। कारण यह है कि गरीबों के आर्थिक पक्ष को ही सबकुछ मान लिया गया है और सोचा गया है कि आजीविका बढ़ जाने भर से गरीबी मिटाने के लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी।

यहाँ इस तथ्य की एक प्रकार से उपेक्षा ही होती रही है कि गरीबी को न्योत बुलाने वाली मानसिकता को सिंहासनारूढ़ न रहने दिया जाय। उसे अमूल-चूल बदलने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाये, भले ही वे अप्रत्यक्ष होने के कारण आर्थिक सहायता जैसी तात्कालिक प्रशंसा प्रदान न कर सकें। समझा और समझाया जाना चाहिए कि मनुष्य की निजी कार्य क्षमता इतनी अधिक है कि यदि उसका सुनियोजन बन पड़े तो न केवल अपनी उचित आवश्यकतायें पूरी कर सकता है वरन् आश्रितों से लेकर पड़ोसी-सम्बन्धी और इर्द-गिर्द के पिछड़ों की भी कारगर सेवा कर सकता है।

९ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



श्रम की उपेक्षा अवमानना का दृष्टिकोण मनुष्य को आलसी और विलासी बनाता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता घटती, अपव्यय की आदत पड़ती है। आमदनी घटने और खर्च बढ़ने पर किसी को भी दिवालिया बनना पड़ सकता है। ऐसी विपन्नता सामने आने पर संयोग को कम और व्यक्ति की अव्यवस्था को अधिक दोषी माना जाता है। यही कारण है कि दीवालिया को फिर कारोबार करने का अधिकार कानून नहीं देता है। गरीबों के साथ भरपूर सहानुभूति रखने और उनकी सहायता के लिए उदारता बरतते हुए भी यह कटु सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दुर्दशा का परोक्ष कारण अदक्षता और अव्यवस्था ही रही है। इन दोनों महाछिद्रों के रहते दुधारू गाय का दूध भी तनिक जमा नहीं हो सकेगा। देखते भी हैं कि पिछड़े वर्ग में आलस्य, प्रमाद, गन्दगी, अस्तव्यस्तता, नशेबाजी, आवारागर्दी, कुरीतियों में अपव्यय के ऐसे हथौड़े पड़ते रहते हैं जिसके कारण उनकी आर्थिक कमर टूटी और स्थिति लुंज-पुंज जैसी बनकर रह गयी है।

कहते हैं कि “ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं।” यहाँ उपकार की भावना को निरस्त नहीं किया गया है वरन् इस बात पर जोर दिया गया है कि निजी प्रतिभा उभारने पर पूरा-पूरा जोर दिया जाए और समझाया जाय कि यदि इस दिशा में वैयक्तिक उपेक्षा यथावत् बनी रही तो इसके रहते रोगी शरीर पर रेशमी कपड़ा पहना देने के सिवाय कोई उत्साहवर्धक परिणाम उत्पन्न न हो सकेगा। ध्यान तो शरीर को निरोग और बलिष्ठ बनाने पर दिया जाना चाहिए अन्यथा रुग्ण शरीर में फैलने वाली बीमारियों की भयंकरता पर गुलाब-इत्र चुपड़ना भी काम न आ सकेगा।

कितने ही देशों और समाजों के उदाहरण सामने हैं, जिन्होंने निजी दक्षता उभारी, व्यवस्था और श्रम संलग्नता को प्रमुखता दी और देखते-देखते सुसम्पन्न लोगों की गणना में आ गये। द्वितीय विश्वयुद्ध में बुरी तरह आहत किये गये जापान, जर्मनी, रूस, इजराइल आदि देशों ने

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / १०



थोड़े से समय में ही कितनी उन्नति कर ली ? उनका विवरण पढ़कर आश्चर्य होता है । कभी का अफीमची चीन अब बड़ों-बड़ों को आँखें दिखाने की स्थिति में है । वह चमत्कार किन्हीं अनुदानों के आधार पर नहीं उपजे वरन् अपने देश की जनशक्ति को कष्टसाध्य कर्मठता में नियोजित करके ही प्रगति का अग्रगामी लक्ष्य पाया जा सका ।

इसके विपरीत जिन वर्गों में विलासिता का, श्रम की उपेक्षा का मानस बना था उन राज सिंहासनों, सामन्तों, दुर्गों और अमीर उमरावों को अप्रत्याशित बुरे दिन देखने पड़े । अभी भी भिक्षा व्यवसायी वर्ग अपनी प्रामाणिकता, प्रतिष्ठा और सुविधा-सम्पन्नता खोता चला जाता है, भले ही वह धर्म-अध्यात्म का लवादा ओढ़े हो और देवताओं के प्रतिनिधि होने की बड़-चढ़कर दुहाई क्यों न देता रहे । अनैतिक धन्धों में लगे हुए लोग चोरी, जेबकटी, उठाईगिरी, जालसाजी आदि के नाम पर कितनी ही कमाई क्यों न करते हों, हेय व्यक्तित्व के कारण उनकी गतिविधियाँ एक प्रकार की तंगी या गरीबी का ही अनुभव कराती रहती हैं । श्रम को प्रतिष्ठा दिए बिना न आर्थिक उत्कर्ष हो सकेगा और न अपव्यय का वह बहाव रुकेगा जो भरे घड़ों को भी कुछ ही समय में खाली कर देता है ।

इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अपने समाज में पिछले दिनों श्रम की अप्रतिष्ठा होती रही । श्रमिक को हेय दृष्टि से देखा और छोटी जाति वाला बताया जाता रहा । जबकि आरामतलबी और विलासिता का अनुत्पादक जीवन जीने वाले अपने को कुलीन बताते और बड़प्पन की डींग हाँकते रहे । अमीरों को सम्मान मिलता रहा, उनके सम्मुख लोगों का सिर झुकता रहा । इसका अर्थ प्रकारान्तर से उस परम्परा को स्वीकार-शिरोधार्य करना जैसा हुआ । लोग ललचाने और उसी मार्ग पर चलने लगे । श्रम की अवज्ञा होने पर सही रीति से सम्पदा का उपार्जन बन नहीं पड़ता । दक्षता के बिना वैभव हस्तगत कैसे हो ? ऐसी दशा में बिना परिश्रम किये अमीर बन जाने का एक



ही मार्ग रह गया-अनाचार-भ्रष्टाचार । उसी को अपनाकर लोग सुविधा और प्रतिष्ठा का दुहरा लाभ अर्जित करने लगे । बात यहाँ तक बढ़ी कि अमीरी का स्वांग बनाने में लोग अनाप-सनाप अपव्यय करने लगे । फैशन, जेबर, शृंगार, ठाट-बाट प्रदर्शन की इसी मान्यता को परिस्थिति कहा जा सकता है । खर्चीले प्रदर्शनों वाली शादियों के पीछे भी यही मान्यता काम करती है । ऐसी ही मान्यता जिसने समाज की आर्थिक दृष्टि से रीढ़ ही तोड़ मरोड़कर रख दी ।

अपने समाज में जो अनेकानेक कुप्रथायें दीख पड़ती हैं उनके पीछे श्रम की अवहेलना और किसी प्रकार समृद्ध बन जाने की ललक का बहुत बड़ा हाथ है । यही कारण है कि ईमानदार, कठोर श्रमरत और कर्तव्य-परायण वर्ग घटते-घटते बहुत छोटा रह गया है । प्रस्तुत परिस्थितियों में अनेकानेक विग्रहों और अवांछनीयताओं का बन पड़ना स्वाभाविक है । गरीब चोरी करे, भूखा उठाईगीरी पर उतरे तो कारण समझ में आता है, पर बिना परिश्रम अधिक सुविधा सम्पन्न बनाने की लिप्सा तो ऐसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगी जिसमें चैन से रहना और चैन से रहने देना सम्भव ही न हो सके ।

गरीबी हटाने के लिए हमें श्रम को सम्मान देना चाहिए । धनिकों की तुलना में कर्मनिष्ठों को हर क्षेत्र में हर स्तर का सम्मान देना चाहिए । यह प्रचलन चल पड़े तो हरामखोरी की अपराधों में गणना होने लगेगी और श्रमजीवी अपने गौरवान्वित हुआ अनुभव करेगा, तब किसी को बड़ा साहब बनने की, सम्पन्न घरों में लड़की देने की, ऐयाशी के सपने सँजोये रहने की आकांक्षा आतुर न करेगी । क्योंकि आरामतलबी और अनुपयुक्त उपायों से संचित की गई अमीरी तब सर्वत्र तिरस्कार की दृष्टि से देखी जायेगी । श्रम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और गौरव भी अनुभव होगा। ऐसा होने पर आलसी, प्रमादी, तिरस्कृत होंगे और गरीबी के ही नहीं लोक भर्त्सना के भी भाजन बनेंगे । भाग्यवाद की दुहाई देकर भी वे अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सकेंगे ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / १२



यहाँ तक कि उनके लिए सहानुभूति का मार्ग भी बन्द हो जायेगा ।

प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन सम्भव हो सके तो हर व्यक्ति अधिकांश रूप में आवश्यक उपार्जन करने तथा दक्षता सम्पादित करने में संलग्न दिखाई पड़ेगा । स्वभाव में इस प्रकार का समावेश कर लेने पर किसी को गरीब न रहना पड़ेगा और न आर्थिक तंगी की शिकायत करनी पड़ेगी । सम्पत्ति तो शारीरिक और मानसिक श्रम की ही परिणति है, जो दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहेंगे वे अपने क्रिया-कलाप में श्रमशीलता का समुचित समावेश करेंगे । ठाली बैठे समय गुजारना, आवारगर्दी में भटकना न तो किसी विचारशील को स्वयं सहन होगा और न उसे कोई कहीं सम्मान की दृष्टि से देखेंगे । अगले दिनों तो अरामतलब स्तर के लोग परजीवी माने जायेंगे और भिक्षुकों से भी गये गुजरे समझे जायेंगे । जब भी इस स्तर के मान्यता क्षेत्र में परिवर्तन होंगे तब सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा कि न कोई मुफ्तखोर रहा और न उसके साथ जुड़ी रहने वाली गरीबी का कहीं अता-पता मिल सका ।

अपने देशों में उद्योग-व्यवसायों की कमी है-यह ठीक है । परिस्थिति की प्रतिकूलता और साधनों की कमी भी गरीबी के साथ जुड़ती है, पर इससे भी अधिक सही यह है कि यदि श्रम किये बिना चैन न पड़े तो खाली दीखने वाले समय में भी कर्म संलग्न रहकर व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द सुव्यवस्था-सुविधा, सज्जनता, सुन्दरता एवं सुसंस्कारिता का अभिवर्धन करने वाले हजार काम कर सकता है । अपने घर-परिवार के प्रस्तुत क्रिया-कलापों में उत्कृष्टता का भारी समावेश करता रह सकता है । कम से कम उस समय में अपनी दक्षता-योग्यता तो उपयोगी विषयों में बढ़ाई ही जा सकती है । सार्वजनिक सेवा का कोई परमार्थिक कर्म तो कहीं कभी भी मिल सकता है । व्यस्तता वस्तुतः अमिट प्रगति का सुनिश्चित मार्ग है । इसे अपनाये रहा जाये तो कोई भी पिछड़ी हुई स्थिति में दरिद्रता से ग्रस्त नहीं रह सकता ।



तात्कालिक उपार्जन तो श्रमशीलता के आधार पर मिलता ही है । कृषक, मजदूर, कारीगर, व्यवसायी इसी के सहारे अपना परिवार का भरण-पोषण करते हैं, पर कदाचित् कभी किसी को आजीविका देने वाला काम न मिले तो उस समय को योग्यता वृद्धि में, दक्षता अर्जित करने में लगाया जा सकता है । यह भी एक बीजारोपण जैसा कृत्य है जो हाथों हाथ प्रतिफल भले ही न देता हो, पर बढ़ी हुई योग्यता के सहारे अगले दिनों उससे कहीं अधिक कमाया जा सकता है जो अभी सामान्य योग्यता के रहते हस्तगत होता है । योग्यता वृद्धि भी एक व्यवसाय है । विद्यार्थी, शिल्पी, कलाकार, पहलवान आदि इसी प्रकार अपने समय, श्रम और साधनों की पूँजी लगाकर अगले दिनों उज्ज्वल भविष्य की सुखद संभावनायें विनिर्मित करते हैं । अपने पास अपना काम चलाने के लिए भले ही हो, पर संसार में तो अगणित अभावग्रस्त-पिछड़ी स्थिति में पड़े हुए हैं, उनके लिए कमाया जा सकता है । देश की समृद्धि बढ़ाने में सहायक रहना भी एक सराहनीय कार्य है ।

व्यस्त रहने वाला न तो थकता है और न खीझता है वरन् सच तो यह है कि उसकी नस-नाड़ियाँ क्रियाशील रहकर रोगों से निपटने की शक्ति और दीर्घजीवन प्रदान करती हैं । ऐसे व्यक्ति प्रसन्न रहते और हँसती-हँसाती जिन्दगी जीते देखे गये हैं । ठाली रहने वाला व्यक्ति अपना समय काटने के लिए कुछ न कुछ खुराफात सोचता है और जाल-जंजाल खड़े करता है । अकेले यह सब नहीं हो पाता तो फिर अपना साथी किसी और को बनाने की फिराक में फिरता है । स्वयं की बर्बादी करने के साथ-साथ अन्य साथियों को भी अपने जैसी बुरी आदतों का अभ्यासी बनाता है । चिंतन, कुकल्पनायें, बेकार की उड़ानें, ठाली समय में ही मस्तिष्क में प्रभाव करती हैं । भूतकाल के अनावश्यक प्रसंग याद आते हैं और अकारण हैरान करते हैं । इन सबसे बचने का भी उपाय है-व्यस्तता । उसी को स्वभाव का अंग बनाकर अपनी तथा दूसरों की गरीबी को भी दूर किया जा सकता है ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / १४



## कुटीर उद्योग का आश्रय लेना ही होगा

मुफ्तखोरी को प्रायः उस्तादी चालाकी में गिना जाता है । उस प्रकार की सुविधा बटोरने वाले कई बार तो अपनी शेखी बघारते देखे जाते हैं, भाग्यवान होने का दावा भी करते हैं और पूर्व पुण्यों का संचय अथवा ईश्वर का अनुग्रह होने जैसी बातें बनाकर दूसरों की तुलना में अपने को अधिक श्रेष्ठ होने की बात भी कहते हैं, पर वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं-यह अनुचित को उचित सिद्ध करने की धृष्टता मात्र है ।

अनुचित आचरण करने वालों को अपशब्द कहकर धिक्कारा जाता है । उसी प्रसंग में गाली-गलौज का उपयोग तक होता है । गालियों की लंबी शृंखला में अन्य तो क्रोध, आवेश की प्रतीक ही होती हैं और उन शब्दों के साथ औचित्य एवं शिष्टाचार का उल्लंघन भी होता देखा गया है, पर एक गाली ऐसी है जिसमें प्रायः यथार्थता का समावेश होता देखा गया है, भले ही वह सुनने वाले को बुरी ही क्यों न लगे । ऐसी गाली है हरामखोर-कामचोर । पराई कमाई पर गुजारा करने वाले प्रायः उसी के भाजन बनते हैं ।

बाल, बृद्ध, रुग्ण, अपंग स्तर के लोग दूसरों के उपार्जन पर गुजारा करें तो बात समझ में आती है, पर जो समर्थ होते हुए भी आलस्य-प्रमाद में समय गुजारते हैं और दूसरों की कमाई पर गुजारा करते हैं उनके लिए उस भर्तसना भरी गाली का उपयोग अशिष्ट होने पर भी यथार्थता के साथ जुड़ा हुआ समझा जा सकता है ।

मनुष्य को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपने श्रम एवं कौशल के बदले खरीदना चाहिए । स्वावलम्बन इसी को कहते हैं, आत्मगौरव इसी को कहते हैं, न्याय एवं औचित्य भी इसी का समर्थन करता है ।

अनुदान ग्रहण तो किया जा सकता है, पर प्रतिदान चुकाने की शर्त पर ही । बालकों का भरण-पोषण करने वाले अभिभावक यदि

१५ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



यह आशा करें तो अनुचित न होगा कि बुढ़ापे में उसका सेवा-सहायता के रूप में प्रतिफल मिलेगा । पत्नी पति को समर्पण करती है तो उसके साथ यह शर्त भी जुड़ी होती है कि उसका समग्र स्नेह-सहयोग उसे उलट कर मिलता रहेगा । यदि एक पक्ष देता रहे और दूसरा उसे अधिकार समझकर हजम करता रहे तो उसे कृतघ्नता जैसा अनाचार ही माना जायेगा ।

पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार में मिली राशि को भावनाशील उन स्वर्गस्थों के कल्याण हेतु ही लगा देते हैं । श्राद्ध धर्म यही है । समर्थ होने पर सन्तान को अपने परिश्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए । उत्तराधिकार की राशि को परमार्थ प्रयोजन में लगाकर मिले ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

दान-दक्षिणा के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है । सेवा संलग्न परमार्थ परायण साधु-ब्राह्मण स्तर के लोग निर्वाह के लिए दान ग्रहण तो करते हैं, पर साथ ही सतर्कता पूर्वक यह ध्यान भी रखते हैं कि जो मिला है उसकी तुलना में उसकी सेवा-साधना कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी, भारी-भरकम होनी चाहिए । साधु-ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक इस परम्परा के निर्वाह में इस स्तर तक सावधान रहते हैं कि कहीं उनकी सेवा-साधना का वजन दान की तुलना में हलका न रह जाये अन्यथा ऋणी बनकर ब्याज समेत उसका भार चुकाना पड़ेगा । न चुकाने पर आत्म-प्रताड़ना, लोक-भर्त्सना और दैवी आक्रोश का भाजन बनना पड़ेगा । सज्जनता आत्म निर्भरता के साथ जुड़ी हुई है ।

यह तथ्य हर किसी को हृदयंगम करना और कराया जाना चाहिए । स्वावलंबन का ही दूसरा नाम स्वाभिमान है । इस परिभाषा से हर कोई अवगत रहे तो ही ठीक है । इन आदर्शों की पूर्ति सतत् श्रमशीलता अपनाये रहने पर ही बन पड़ती है अन्यथा कामचोरी मुनाफाखोरी की तरह हरामखोरी भी अनैतिक स्तर की बनती है । भले ही वह प्रत्यक्ष चोरी-उठाईगीरी की तरह कानूनी अपराध न बनती हो ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / १६



अपने और साथी-सहयोगियों के लिए आवश्यक साधन-सामग्री हर किसी को जुटानी पड़ती है। यह आये कहाँ से ? इसका सही उत्तर एक ही हो सकता है कि अपने कौशल भरे परिश्रम से, पुरुषार्थ से। इसके बिना जो उपलब्ध किया गया है वह चोरी-बेईमानी की श्रेणी में ही गिना जायेगा। कम स्तर का अनुदान देकर भारी स्तर का प्रतिपादन प्राप्त करना भी प्रकारान्तर से अनैतिक ही हो जाता है। नीति-नियमों में आर्थिक पवित्रता को आवश्यक एवं अनिवार्य माना गया-इस तथ्य को देखते हुए परिश्रम-साधना धर्म कर्तव्य ही ठहरता है।

आवश्यक नहीं कि नित्य खर्च का ही उपक्रम चले। यह भी हो सकता है कि अपने परिश्रम को पूँजी के रूप में बदल लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उसे अभीष्ट प्रयोजन के लिए फिर से प्रयुक्त किया जाए। इसी बात को यों भी कहा जा सकता है कि श्रम संयुक्त समय को धन के रूप में बाँधा और आवश्यकतानुसार उसे किसी भी इच्छित प्रयोजन में खर्च किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरोँ और तिजोरियों में वस्तुओं को यथावत रहने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अपनी समर्थता को धन के रूप में परिवर्तित करके आड़े समय में काम आने के लिए सँभाल कर रखा जा सकता है। यह एक अच्छी परिपाटी है, शर्त एक ही है कि उसमें अनीति का समावेश न हुआ हो, मुफ्तखोरी की नीति को उस कमाई में जोड़ा न गया हो। धन एक उपयोगी आवश्यकता है, उसका संचय उसी हालत में बुरा समझा जाता है जब विलासिता, दुर्व्यसन, अपव्यय जैसे माध्यमों से उसका दुरुपयोग किया जाए, अनर्थकारी उत्पादन उसके माध्यम से किए जायें।

गरीबी का प्रमुख कारण है-क्षमता और दक्षता का समुचित श्रम माध्यम से नियोजन न बन पड़ना, योग्यता के अनगढ़ स्तर को बनाये रहना। यदि दक्षता बढ़ाते रहें और उसे क्रिया कलापों में व्यस्त रखें तो कोई कारण नहीं कि किसी को भी अभाव ग्रस्त रहना पड़े,

१७ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



दरिद्रता की व्यथा सहन करनी पड़े। जापान-इजराइल जैसे छोटे-छोटे देशों ने थोड़े ही समय में जो असाधारण उन्नति कर दिखाई उसका प्रमुख कारण एक ही है कि वहाँ का हर नागरिक निरन्तर कार्य में व्यस्त रहता है। विश्राम की बीचबीच में आवश्यकता समझी जाती है, पर काम बदल लेने, हँस-मुस्कुरा लेने भर से उसकी पूर्ति हो जाती है। रात्रि का समय सोने के लिए पर्याप्त है। दिन में बार-बार विश्राम का बहाना लेकर काम को बीच-बीच में छोड़ बैठना, एक चलते हुए सिलसिले को बिगाड़ लेना भर है। उससे वह लाभ भी तो नहीं मिल पाता जो सुस्ती भगाने के बाद प्राप्त होने की बात सोची जाती है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि बीच-बीच में काम रोककर विश्राम कर लेना ठीक है तो भी उस बात के प्रतिपादनकर्ता कहते हैं कि थोड़े विश्राम के बाद मनुष्य अधिक फुर्ती और तत्परता के साथ कहीं अधिक काम करने लगता है। मुख्य प्रयोजन कार्य की अधिकता, सुन्दरता और सफाई से है, उसे विश्राम लेकर या काम बदलकर जैसे भी किया जा सके करते ही रहना चाहिए।

समृद्ध देशों में काम अधिक और श्रम शक्ति कम है, इसलिए उन्हें मँहगा श्रम खरीदना पड़ता है या फिर स्वसंचालित मशीनें फिट करनी पड़ती हैं। वहाँ हर श्रमजीवी को अच्छे पैसे वाला काम आसानी से मिल जाता है, पर अपने देश में स्थिति वैसी नहीं है। सुसम्पन्नों के नगण्य से अनुपात को छोड़कर शेष भारत को कृषक या मजदूर के रूप में अपनी आजीविका उपार्जित करनी पड़ती है। यह दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जिनका कार्य सदासर्वदा नहीं रहता। प्रायः आधा वर्ष लोगों को बेकारी में काटना पड़ता है। काम के दिनों में जो कमा लिया गया था उसी के सहारे बेकारी वाले दिन गुजारने पड़ते हैं। ऐसी दशा में यदि दरिद्रता एक निश्चित नियति बनकर रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या खाली समय का 'शैतान की दुकान' होना प्रसिद्ध है। खाली समय शांति पूर्वक बैठे रहकर नहीं गुजर सकता, विशेषतया

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / १८



उठती उम्र वालों का । रचनात्मक लक्ष्य या काम सामने न होने पर वे जिस स्तर की जहाँ सम्भव है वहाँ उस प्रकार की खुराफात पर उतरते हैं । जब अमीरों का खाली समय शांति-सदाचार में नहीं बीतता तो गरीबों का ही क्यों कटेगा ? वे अपने ढंग के दुर्व्यसन, कलह-विग्रह, अनाचार रचते और उन्हें कार्य रूप में परिणत करते हैं । न भी करें तो भी बेकारी, शरीर को जंग लगाकर निकम्मा बना देती है, आलस्य और प्रमाद का पक्षधर स्वभाव बनता है । ऐसे व्यक्ति निराश, उद्विग्न, चिन्तित तो बने ही रहते हैं, मानसिक अवसाद हावी होकर उनके व्यक्तित्व को गिराता-गलाता ही चला जाता है ।

यहाँ भारत के ग्रामीण क्षेत्र की बेकारी पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है, क्योंकि तीन चौथाई भारत उसी बिखरी भूमि में अदक्ष बनकर रहता है । इसी की गरीबी वास्तविक गरीबी है । शहरों में रहने वाले तो किसी प्रकार कुछ काम प्राप्त करके अपना भला-बुरा गुजारा चला लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ सूझ न पड़ने जैसी स्थिति बनी रहती है ।

सोचने और खोजने पर एक ही मार्ग खुला मिलता है कि खाली समय में गृह उद्योगों का आश्रय लिया जाये । ध्यान रखा जाये कि गरीबी की जन्मदात्री बेकारी है, उससे निपटे बिना दरिद्रता से पीछा छूट सकना संभव नहीं है । शहरों के बड़े मिल-उद्योग यदि छोटे कारखानों में बटकर कुटीर उद्योगों की तरह गाँवों में बिखर गये होते तो केवल बेरोजगारी की वरन् औद्योगिक नगरों में बढ़ती धिचपिच की समस्या के कारण उत्पन्न होने वाले और भी अनेकों संकट टल जाते, पर ऐसा होते वर्तमान परिस्थितियों में दीख नहीं पड़ता । ऐसी दशा में अपने द्वारा बन पड़ने वाले उपाय को ही अपनाने की बात सोचनी पड़ेगी । कृषि और मजदूरी के अतिरिक्त अपने देश में आजीविका उपार्जन का सशक्त-व्यापक और सर्वसुलभ आधार कुटीर उद्योगों का ही हो सकता है । खोजने पर ऐसे अनेकों कार्य हर क्षेत्र में



मिल सकते हैं जो रहने वाले घरों-झोपड़ों में भी चल सकें। नई-नई फैक्टरियाँ खड़ी करना, उनके लिए आवश्यक कौशल और साधन जुटाना भी सरल नहीं है। उतने पर भी वे कुछ ही दक्ष मजदूरों को काम दे सकेंगी। हर खाली हाथ को काम देने की व्यापक व्यवस्था कैसे बन पड़ेगी? ऐसे में दृष्टि बड़े उद्योगों पर नहीं छोटे गृहउद्योगों पर जमती है। उन्हें दो रूपों में भी अपनाया जा सकता है—एक वे जो प्रत्यक्ष धन उपार्जन कर सकें, जिनकी बिक्री में पैसा मिल सके। दूसरे वे हो सकते हैं जिनमें चालू खर्चों में पैसा लगाने की अपेक्षा उन्हें अधिक श्रम शक्ति के सहारे स्वयं ही सम्पन्न कर लिया जाये।

पिछले दिनों वृद्धायें, विधवायें चक्की पीसकर, चरखा कातकर निर्वाह जितने साधन उपलब्ध कर लिया करती थीं। कितनी ही विधवायें परित्यक्त्याओं और अन्धों के लिए यह छोटे उद्योग ही जिन्दगी काट लेने के सुनिश्चित आधार बने रहते थे और उनके लिए जितना चाहिए उतना काम मिल जाता था। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकतायें बढ़ी हैं तो उनके लिए आवश्यक उत्पादन घरों में अलग-अलग रूप में या मिल-जुलकर सम्पन्न किया जा सकता है।

कृषक वर्ग के लिए पशुपालन एक सुनिश्चित सहायक धन्धा है। यदि उसे सलीके के साथ किया जाये तब पशु भले ही थोड़ी संख्या में रहें, पर उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार बन पड़े। समुन्नत खुराक और सुविधा मिल सके तो अब की अपेक्षा उनकी उत्पादन शक्ति सहज ही कहीं अधिक बढ़ाई जा सकती है। गौ-पालन अपने देश के कृषक समुदाय के लिए एक अच्छा सहायक धन्धा है। जीवित रहने पर गाय दूध, बछड़े, गोबर के सहारे भी लाभ देती है और मरने पर उसके चमड़े का दाम उठ सकता है, माँस-हड्डियों की अच्छी खाद बन सकती है। बैल खेतों में कुछ समय काम में आते हैं शेष समय उनका खाली रहता है इसलिए लोग बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों को आश्रय देने लगे हैं ताकि खाली समय में उन पर खुराक के रूप में खर्च का

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / २०



भार न बढ़े । इस कारण निरुपयोगी रहने के कारण बैल कसाईखाने जा पहुंचते हैं । अच्छा हो उस अड़चन को रोकने के लिए बैलगाड़ियों का फिर पहले जैसा प्रचलन किया जाये । बैलगाड़ियाँ सवारी के लिए भी और माल ढोने के लिए भी देहाती क्षेत्रों में बहुत कुछ सफल हो सकती हैं पहले भी थीं । अब बढ़ी हुई शान-शौकत और जल्दबाजी ने वह उद्योग ट्रकों-बसों के सुपर्द कर दिया है । इस कारण बैलों के सहारे चलने वाले उद्योग का तो विनाश होता ही है, साथ ही गोबर जैसी खाद से भी वंचित रहते हैं जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है । यह फसलों को कीड़ों द्वारा खाये जाने से भी रोकती है ।

देहातों में सर्वत्र पक्की सड़कें कहाँ हैं ? कच्ची सड़कों में बैलगाड़ी से बढ़कर और कोई सुविधाजनक साधन नहीं होता । परिवहन और प्रवास के दोनों उद्योग उनके सहारे सधते हैं । कच्ची सड़कों का सदुपयोग होते रहने से उनकी मरम्मत भी होती रहती है, उनके किनारे पेड़ लगाने का एक सहायक धंधा चलता रह सकता है । पर बैलगाड़ियों का प्रचलन न रहने पर कच्ची सड़कें भी बेकार होती जा रही हैं, उनकी न मरम्मत होती है और न किनारे पर पेड़ लगाने की परम्परा चलती है । फलतः भूमि क्षरण की रोक, पानी, लकड़ी, वायु प्रदूषण का परिमार्जन जैसे अनेकानेक लाभों से वंचित होना पड़ता है । भैंस के दुग्ध की तुलना में गौ दुग्ध की गुणवत्ता को अधिक प्रश्रय मिल सके तो गौ-पालन हर किसी के लिए एक सहायक धंधा हो सकता है, उसके सहारे आजीविका बढ़ने के अतिरिक्त परिवार को दूध-छाछ आदि न्यूनाधिक मात्रा में मिलते रहने पर स्वास्थ्य संवर्धन का भी सुयोग बनता है ।

परिवहन के लिए घोड़े, गधे, ऊँट भी अपने-ढंग से ग्रामीण जनता की सेवा करते हैं । भेड़ों की ऊन का लाभ भी कम नहीं है । जिनके पास कृषि है उन्हें कुटीर उद्योगों के रूप में पशुपालन को



एक महत्वपूर्ण आधार मानना चाहिए और पशु विकास के संबंध में आधुनिक खोजों की जानकारी प्राप्त करके उनसे लाभ उठाना चाहिए ।

कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों के लिए तीसरा धन्धा वस्त्र उद्योग का हो सकता है । इसके लिए कपास ओटने, धुनने, पौनी बनाने, बुनने, रंगने-धोने जैसे कितने ही सहयोगी कार्य जुड़ते हैं । अनेक लोगों को विभाजित काम मिलते हैं । कपास उत्पादक से लेकर वस्त्र विक्रेता, दर्जी धोबी आदि उनसे काम प्राप्त करते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम उत्पादन को खपाने के लिए लोकमानस बदले और गरीबी उन्मूलन का महत्व समझाते हुए कुटीर उद्योगों से विनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दिलाने वाला विचारक्रांति स्तर का आन्दोलन चलाया जाए ।

इन दिनों लोगों को अधिक चमकदार-आकर्षक माल चाहिए । यह कार्य बड़े कारखाने ही कर सकते हैं । लोगों की अदूरदर्शिता और बचकानी बुद्धि का लाभ उन्हीं ने उठाया है । अतः कुटीर उद्योग, घरेलू धन्धे घटते-मितते चले गये । एक ओर जहाँ देहाती क्षेत्र में गरीबी-बेकारी बढ़ी तो प्रतिस्पर्धा में बाजी मारने वाले बड़े कारखाने चलाने वाले अधिकाधिक अमीर बनते चले गये । उसमें लोक चिंतन की अदूरदर्शिता सबसे बड़ा कारण है । देश की गरीबी मिटाने के लिए गृहउद्योगों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा ताकि हर खाली हाथ को काम मिल सके । यह सम्भव तभी हो सकता है जब लोकमानस तड़क-भड़क के लिए ललचाना छोड़कर गरीब वर्ग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों को सहायता देने के लिए सादा पहनने और हाथ से बनी कम चमकदार वस्तुओं को अपनाने में अपना गौरव समझें । 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन की सफलता के छिपे बीजांकुरों को समझने की दूरदर्शिता जगे । कुटीर उद्योगों की संख्या बड़ी हो सकती है । स्थानीय उत्पादनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / २२



अनेकानेक गृह उद्योगों की एक बड़ी सूची बन सकती है । उनके लिए कच्चा माल जुटाने और उत्पादन की दक्षता प्राप्त करना भी उतना कठिन नहीं है जितना कि खपत की व्यवस्था करना । इसके लिए कुटीर उद्योगों को प्रश्रय देने वाले को चाहिए कि उनके विस्तार-परिवर्तन अभियान की महती आवश्यकता है ।

## कठोर श्रम से ही सम्पन्नता बढ़ेगी

विपन्न परिस्थितियों से बचाव के लिए, गरीबी और बकारी के अभिशाप को हल्का करने के लिए, कुटीर उद्योगों की महिमा समझने और उनकी ओर ध्यान आकर्षित किये जाने, अभिरुचि उत्पन्न करने की महती आवश्यकता है । इस प्रकार का उत्साह जगाने से भी अभी अति कठिन दीखने वाला लक्ष्य कल अति सरल-सुलभ हो सकता है । सृजन और स्वावलम्बन की सत्प्रवृत्ति का उभारा जाना मात्र समृद्धि सम्बर्धन की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं वरन् उनके और भी अति महत्वपूर्ण स्थाई सत्परिणाम सम्भव हो सकते हैं ।

व्यक्तित्व के विकास में जिन सत्प्रवृत्तियों का असाधारण योगदान रहता है । उसमें सृजन, सुनियोजन एवं सुधार परिवर्तन की प्रक्रिया को असाधारण महत्व प्राप्त हैं, उन्हें विकसित कैसे किया जाए ? इसके उत्तर में अभ्यास एवं अनुभव का सम्पादन ही आवश्यक माना जाता है । उसमें अर्थोपार्जन का लाभ भी हो सकता है, पर यदि वह न्यून मात्रा में ही हो या सज्जा-विनोद जैसी सामान्य आवश्यकता ही पूरी करता है तो भी प्रतिभा-परिवर्धन की दृष्टि से उसकी उपयोगिता है । कला के अधिकांश पक्ष ऐसे ही हैं जिनमें प्रत्यक्ष अर्थ लाभ तो यत्किंचित ही होता है, पर उनके माध्यम से प्रतिभा का जो विकास होता है उसे बहुमूल्य स्तर का आँका जाता है । सम्पन्न परिवार के लोग यदि कला-कौशल को आर्थिक दृष्टि से महत्व न भी दें तो बात समझने में आती है । फिर भी देखा गया है कि उन परिवारों की महिलायें-लड़कियाँ चावपूर्वक अपने कला-कौशल का परिचय देने

२३ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



के लिए कितनी साज-सज्जा की वस्तुएँ बनाती रहती हैं । संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि में अपनी वरिष्ठता सिद्ध करने में गौरवान्वित होती है । पुरुषों में भी ऐसे कितने ही होते हैं जो व्यवस्था प्रकरण में अपने कौशल का प्रदर्शन करके सहज सम्मानित होते हैं । गृह उद्योगों को भी ऐसा ही कौशल माना जा सकता है जिसमें अर्थ लाभ भले ही सामान्य होता हो, पर उस अभ्यास से विकसित हुई प्रतिभा अन्य अवसरों पर विशिष्ट कौशल का परिचय देती है । खिलाड़ी पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ खेलता है, इसमें उसका समय भी लगता है और श्रम भी । आवश्यक नहीं कि हर खिलाड़ी को पुरस्कार ही मिले, पर इस अभ्यास से उसकी प्रतिभा तो निश्चित रूप से निखरती और भावी जीवन में अनेक अवसरों पर काम में भी आती है । यदि ऐसा न होता तो देखने में शक्ति की बर्बादी समझी जाती और वह विद्या किसी के द्वारा भी न अपनाई जाती ।

बाजारू वस्तुएँ भले ही अधिक चमकीली या स्वादिष्ट हों पर अपनों के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है उसे महत्व भी दिया जाता है और पसंद भी किया जाता है । माता-पत्नी आदि द्वारा बनाई गई, परोसी गई रसोई में जो आनन्द आता है वह होटलों में मिलने वाले व्यंजनों में कहाँ होता है ? आत्मीयता एवं उदारता के अधिकारी निर्धन समुदाय के हाथों जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका भावनात्मक दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा मूल्यांकन किया जाना चाहिए, भले ही वे उतनी साफ सुथरी चमकीली या आकर्षक न हों । परिवार की महिलाओं को आत्मीयता के कारण जो मान मिलता है उसे सजी-धजी वेश्यायें कहाँ उपलब्ध कर पाती हैं ? हस्तकौशल को ऐसा ही मान मिलना चाहिए । उनसे निर्माताओं की तरह उपभोक्ताओं को भी सन्तुष्टि और गर्व अनुभव करना चाहिए । यदि यह आत्मीयता उदारवादी आदर्शवादिता का भाव सम्पुट गृहउद्योगों के द्वारा किये गये निर्माण को मिल सके तो उनकी खपत में कोई व्यवधान न पड़ेगा ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / २४



निर्माणकर्ताओं को घर बैठे खाली समय में कुछ उपार्जन कर सकने का लाभ मिलेगा । गरीबी दूर करने में उस प्रचलन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ।

दैनिक व्यवहार में काम आने वाली प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएँ निर्धन वर्ग के लोग भली प्रकार बना सकते हैं और गरीबी दूर कर सकने वाला एक बड़ा अवलम्बन उपलब्ध कर सकते हैं । लुहार, बढ़ई, जुलाहा, रंगरेज, दर्जी, मोची, तेली, धोबी, कुम्हार, चौकीदारी आदि के काम यदि गाँव-गोठ के कारीगर ही करने लगे तो उनके लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का, बड़े कारखानों का मुँह न तकना पड़े । गाँवों के मण्डल तो इतना काम बढ़ा सकते हैं कि किसी को भी काम न मिलने की शिकायत न करनी पड़े । सभी व्यस्त और चुस्त-दुरुस्त रहें । ग्राम जीवन में यदि अनावश्यक तड़क-भड़क प्रवेश न होने दिया जाये तो जो पैसा चमकीली चीजें बनाने वाले अमीर व्यवसाइयों के हाथ में चला जाता है वह अपने ही क्षेत्रों में रुका रहने पर निर्धन एवं बेरोजगार कहे जाने वाले लोगों को भारी राहत प्राप्त करा सके ।

घर-परिवार में अनेक छोटी-बड़ी वस्तुओं का प्रयोग होता है । सुई, दियासलाई, बटन, रस्सी, रंग-रोगन, बर्तन, चाकू, कैंची, हँसिया ( दराँत ) स्तर की दर्जनों वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हर घर में काम आती ही रहती हैं । ध्यान न दिये जाने के कारण उनका उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता और उनके लिए बड़े व्यवसाइयों के यहाँ चक्कर लगाने के लिए विवश होना पड़ता है । खिलौने भी मनोरंजन की सस्ती शृंखला हैं, अब वे बड़े कारखानों में प्लास्टिक से बनते हैं यदि इच्छा हो तो बालकों की इस आवश्यकता को गाँव-घरों में ही पूरा किया जा सकता है । स्कूलों में स्लेट, पेन्सिल, स्याही आदि का उपयोग होता है । पुस्तकों को सुरक्षित रखने के वास्ते, लाने-ले जाने के डिब्बे आदि के सम्बन्ध में यदि ध्यान दिया जाये तो उन्हें गृह उद्योग के रूप में आसानी से विकसित किया जा सकता है । टाट पट्टी बुनना,

२५ / गरीबी भग्न, गरिमा बढ़ाएँ



ब्लैक बोर्ड बनाना, कामचलाऊ फर्नीचर बनाना जैसी स्कूली आवश्यकताओं का भी एक वर्ग है और उनकी पूर्ति गाँव के कारीगर भली प्रकार कर सकते हैं। कृषि कार्य में काम आने वाले औजारों को तो गाँव के लुहार थोड़ी-सी कुशलता अपनाकर भली प्रकार विनिर्मित कर सकते हैं। मकान बनाने के काम आने वाली वस्तुएँ ईंट, चूना, खूँटी, किवाड़ आदि के लिए भी शहरों की ओर दौड़ने से बचा जा सकता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना भी कुछ कठिन नहीं है। चाय के प्याले से लेकर तशतरियाँ, डिब्बे, अचारदानियाँ आदि को ग्रामोद्योगों के रूप में विकसित किया जा सकता है। मोमबत्तियाँ-दिया सलाई जैसी वस्तु बनते रहना कुछ कठिन नहीं है। चपाती बनाने की तुलना में आज डबलरोटी-बिस्कुट आदि बनाना अधिक सुविधाजनक समझा जाने लगा है। कभी चबेना भूने के लिये भाड़ हर गाँव में चला करते थे अब रोटियाँ बनाने के लिए तन्दूर या बेकरी का उद्योग सामूहिक भोजन बनाने की एक नई विधा के रूप में विकसित हो सकता है और हर घर में तीन बार चूल्हा जलाने में जो समय और श्रम खर्च होता है उसे बचाकर किसी दूसरे अधिक उपयोगी काम में लगाया जा सकता है।

यह मशीनी युग है, हर काम के लिए मशीनें बन गई हैं और बिजली की शक्ति से वे काम करती हैं। इन्हें विनिर्मित करने वाले यदि नई दृष्टि अपनायें और देहातों में काम आ सकने वाली छोटी-छोटी मशीनें ऐसी बनने लगेँ जो कम बिजली से थोड़े स्थान में चल सकें तो समझना चाहिए कि आज का अभिषाप बना हुआ ओद्योगीकरण विकेंद्रित होकर कम साधन वाले बेकारों के लिए संजीवनी बूटी बन सकता है वरदान सिद्ध हो सकता है। आवश्यकता इतनी भर है कि बड़े कारखानों के लिए बड़ी मशीनें बनाकर बड़ा लाभ कमाने वाले, पिछड़े क्षेत्रों के लिए छोटे उद्योग खड़े करने और उनके उपयुक्त सस्ते उपकरण बनाने की बातें सोचें और अपने लाभ



की तुलना में दूसरों की आवश्यकता को प्रमुखता दें । ऐसी दशा में घर-घर काम आ सकने वाली छोटी मशीनें पिछड़े क्षेत्रों के लिए आजीविका के अच्छे एवं सरल साधन खड़े कर सकती हैं । हैण्डपम्प, मोटर पम्प, सुलभ शौचालय, प्रेशर कुकर, सौर ऊर्जा के उपकरण, आटा पीसने की चक्कियाँ आदि के लिए देहाती क्षेत्र में भारी आवश्यकता है । उनके लिए बिजली या डीजल मिलने लगे तो समझना चाहिए कि देहात से शहरों की ओर जो गेटी की तलाश में प्रतिभा पलायन होता है । वह सहज ही रुक जायेगा ।

सामूहिक गोबर गैस प्लान्ट बनें और उनसे आस-पास के घरों में कनेक्शन मिलें तो अलग-अलग छोटे-छोटे गोबर गैस प्लान्ट बनाने में जो अनेक झंझट खड़े होते हैं उनसे बचकर लोग गैस का उपयोग करने लगे और उनसे उत्पन्न हुई खाद को भी रासायनिक खादों की जगह प्रयोग करने की परम्परा चल पड़े । पशुपालन अभी अलग होता है । यदि वह सहकारिता के आधार पर एक-एक दायरे में विकसित हो सके तो फिर दूध-घी की नदियाँ अपने इसी देश में बहने लग सकती हैं ।

गृह उद्योगों की बात सोचने के साथ ही यह भी सोचना होगा कि उचित मूल्यों पर कच्चा माल देने और बना हुआ माल खरीद कर उपयुक्त मण्डियों में बेचने का कार्य भी वे सम्मिलित रूप से ही करें । उससे निर्माता, विक्रेता और उपभोक्ता के बीच तालमेल बैठ जाने पर तीनों ही वर्गों को सुविधा रहेगी । सहकारी समितियों का कार्य ऋण बाँटना और बसूल करना ही न रहकर गृह उद्योगों के लिए वातावरण बनाना और सुविधा उत्पन्न करना भी होना चाहिए । अन्न-वस्त्र की तरह निवास-आवास का भी मनुष्य के जीवन के साथ सघन सम्बन्ध है । इन दिनों देहाती क्षेत्र के निवास गृह उस स्तर के बने होते हैं कि उनमें हवा और रोशनी का प्रवेश यत्किंचित ही होता है । जाड़े के दिनों को छोड़कर उनमें सभी ऋतुएँ असुविधापूर्ण बीतती हैं ।

२७ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



जीवनोपयोगी घर बनाने की योजना भी ऐसी ही है जिसमें करोड़ों श्रमिकों को खपाया जा सकता है। गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाना, स्वच्छता सिद्धान्तों पर आधारित कुंए बनाना भी ऐसा कार्य है जिनमें आरम्भिक दिनों में पूँजी लगा कर बाद में किस्तों में बसूल की जा सकती है। यह व्यवस्था सरकार, बैंक तथा उद्योगपति आदि योजनाबद्ध रूप से करें तो कल्पना में असम्भव दीखने वाला काम व्यवहारिक और सरल सम्भव हो सकता है।

गरीब-अमीर सभी घरों में कुटीर उद्योगों के प्रचलन की परंपरा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कम से कम घरेलू शाक वाटिकायें हर घर में लगी हों उन्हें आँगन बाड़ी, छप्पर बाड़ी के रूप में विकसित किया जा सकता है और दैनिक उपयोग के लिए ताजी सब्जियाँ मुफ्त में मिलती रह सकती हैं। यह भी एक उत्पादन है। नाई, धोबी, दर्जी के काम ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा उत्साह जगाकर अपने घरों में ही पूरा किया जा सकता है।

टूट-फूट की मरम्मत अपने में एक असाधारण महत्व का उद्योग है। देखा जाता है कि तनिक भी टूट-फूट होने पर वस्तुएँ बेकार मान ली जाती हैं और मरम्मत कराने के झंझट में न पड़कर टूटी वस्तुओं को फेंक कर नई खरीद ली जाती हैं। यह रिवाज अमीर देशों के लिए सहन हो सकता है। जहाँ नये निर्माण को ही उद्योग चलने का आधार समझा जाता है, पर अपने देश की स्थिति तो वैसी नहीं है। हमें टूटी वस्तुओं की मरम्मत करते हुए उसे तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक वह पूरी तरह से बेकार न हो जाये। स्टोव, लालटेन, बक्से, बर्तन, फर्नीचर आदि की मरम्मत करते रहने पर उनके द्वारा दूने समय तक काम चलाया जा सकता है। अब मरम्मत करने वालों की दुकानें ग्राहक न आने के कारण घटने लगी हैं। यदि इस धन्धे को पुनः प्रश्रय मिले तो अनेकों ऐसे कारीगर अपनी रोटी कमाते रह सकते हैं और लोग दूने समय तक उन्हीं से काम चलाते रहकर काफी आर्थिक

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / २८



बचत करते रह सकते हैं । बड़े कपड़े में से छोटे निकालना तो समान्य सा कौशल है जिसे दर्जी ही नहीं घर की महिलायें भी कर सकती हैं । छेद हो जाने पर कीमती कपड़ों को रफू करने का उद्योग कभी खूब प्रचलित था, पर अब मरम्मत को अमीरी की शान के विरुद्ध गिना जाने पर उस प्रकार के प्रचलन ही समाप्त हो गये और सर्वसाधारण को अधिक खर्च करने के लिए बाध्य करने लगे ।

चीन ने अपनी स्वतन्त्रता के आरम्भिक दिनों में लगातार कई वर्षों तक विदेशों से नई मशीनें मँगानी बन्द कर दी थीं । आर्थिक तंगी इसके लिए गुंजायश नहीं रहने दे रही थी । इन परिस्थितियों में उस देश में पुरानी मशीनों के नवीनीकरण के लिए बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये गये और पुराने का नये जैसा उपयोग करके काम चलाया गया । इस सिद्धांत को हमें नये सिरे से समझना और नये उत्साह के साथ प्रयोग में लाना चाहिए ।

स्वामी विवेकानन्द से उनकी अमेरिका यात्रा के समय किसी ने पूछा कि भारत में सभी वेदान्त पारंगत होंगे ? जिसके कारण उसकी शिक्षा देने आपको अमेरिका आना पड़ा । उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि- मेरा देश अतिशय गरीब है, वहाँ के निवासियों को कड़ी मेहनत करने और निर्वाह के आवश्यक साधन जुटाने पर जोर देता हूँ ताकि खाली बोरे कमर सीधी रखें, सीधा खड़ा हो सकें और अपने में वेदान्त शिक्षा धारण कर सकें चूँकि आप लोग उस स्थिति को पा चुके हैं इसलिए समझा गया है कि आप वेदान्त को पचा भी सकेंगे । बात पुरानी है, पर गरीबी की रेखा के नीचे जाने वालों के लिए वह आज भी उतनी सटीक है ।

जापान का एक पर्यटक मण्डल भारत के गरीब होने की चर्चा सुनकर उसकी वास्तविकता समझने के लिए यहाँ आया । एक बड़े नेता से अनुरोध किया कि वे गरीब क्षेत्र तक उन्हें पहुँचाने की व्यवस्था कर दें । वह मण्डल कितने ही गाँव घूमा और जब लौटकर आया तो भेजने का प्रबन्ध करने वाले से आश्चर्यचकित होकर पूछा



कि आपने तो हमें अमीरों के क्षेत्र में भिजवा दिया जबकि हम लोग गरीबी का कारण जानने आये थे । उनने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वहाँ तो अधिकांश लोग निठल्ले बैठे थे और बेकार की गपबाजी कर रहे थे । ऐसा तो केवल अमीर करते हैं, जिन्हें कमाने की चिन्ता नहीं होती और भरपूर दौलत पड़ी होती है ।

इससे स्पष्ट हो गया कि इस देश में गरीबी का प्रमुख कारण है बहुत सा समय खाली बैठे रहकर गँवाते रहना । न उस अवधि में कुछ कमाना, न दक्षता बढ़ाने से लेकर व्यवस्था सीखने तक पर भी ध्यान देना-ऐसे लोगों के लिए तो गरीबी सदा नियति बनकर ही रह सकती है । अपना देश इसी कुचक्र में बुरी तरह अटक गया है । इसके निवासियों की समझ में यह मोटी सी बात नहीं आती कि कठिन एवं व्यवस्थित श्रमशीलता अपनाये बिना और किसी तरह गरीबी को भगाया नहीं जा सकता । किसी प्रकार जमा पूँजी इकट्ठी कर लेना और उसके ब्याज-भाड़े से काम चलाना ऐसी साहूकाराना मनोवृत्ति है जिसे भारत सहित अनेक देशों में समाज के लिए अतिशय हानिकारक मानकर उसे मिटाने के लिए इरादे जगाये और कदम उठाये जाने चाहिए । अर्थ सन्तुलन का सही सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति सामर्थ्य भर डटकर काम करे और आवश्यकतायें औसत नागरिक स्तर की रखकर उतनी उपलब्धि पर सन्तोष करे ।

यह सोचना सही नहीं है कि अपना पेट भरने का प्रबन्ध बन गया तो और कुछ उपार्जन के लिए प्रबन्ध क्यों किया जाये ? यह तर्क उसी हालत में सही माना जा सकता है जब सम्पदा पर मात्र अपना ही अधिकार माना और उसे मनचाहे ढंग से खर्चा जाये । पूँजी समाज की सम्पदा है । उत्पादन से सभी को लाभ मिलता है और देश की सुसम्पन्नता और समर्थता बढ़ती है । इसलिए कमाना तो सामर्थ्य भर चाहिए, पर बचत को ऐसे कामों में नियोजित करना चाहिए जिससे सार्वजनिक प्रगति में सहायता मिलती हो ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ३०



## आजीविका अभिवृद्धि ही पर्याप्त नहीं

आजीविका अभिवृद्धि के लिए समय को निठल्ला गँवाने की स्थिति कभी भी नहीं आने देनी चाहिए, श्रम का सम्मान होना चाहिए और जो उस सम्बन्ध में जितना अधिक पुरुषार्थ कर सके उसे उतना ही श्रेय-सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही नई कसौटी यह भी उभरनी चाहिए कि जो आरामतलबी में समय गुजारते हैं उन्हें सम्मान न देकर कामचोरों की पंक्ति में खड़ा करना चाहिए। कामचोरी भी सेंधमारी, उठाईगीरी की तरह ही है। मुफ्तखोर को सामाजिक प्रतिष्ठा से तो पदच्युत किया ही जाना चाहिए।

गरीबी से पीछा छुड़ाने का एक मात्र आधार कमाई की अभिवृद्धि माना जाता है। जो पूरी तरह नहीं आंशिक रूप में ही सही है। आमदनी बढ़ने पर अधिक सुविधा-साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं। इस मोटी बात को सभी जानते और मानते हैं, पर इस सन्दर्भ में एक बड़ा तथ्य बिना जुड़ा ही रह जाता है कि कमाई गई प्रत्येक पाई का श्रेष्ठतम सदुपयोग होना चाहिए। अपव्यय के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्ची जानी चाहिए। इस प्रकार जो गंवाया जाता है उसके कारण अच्छी कमाई वाले भी गरीबों और अभावग्रस्तों जैसी दुर्दशा सहन करते हैं।

दुनियाँ में एक से एक बढ़कर चमकीली-भड़कीली वस्तुएँ भरी पड़ी हैं। सभी आकर्षक लगती हैं, मन ललचाता है तो वे जरूरी जैसी भी लगने लगती हैं। आवेश की उस खुमारी में लोग अनावश्यक वस्तुएँ खरीदते और आवारागर्दी से लेकर दुर्व्यसनों तक के शिकार बनते हैं। जिन्हें पैसे का मूल्य और महत्व सही रूप में मालूम नहीं है जो उचित आवश्यकताओं को प्रथम पंक्ति में नहीं रखते वे अक्सर फिजूलखर्ची का भार असाधारण रूप से बढ़ा लेते हैं। साधन उसी प्रवाह में बह जाने पर उस समय संकट खड़ा होता है जब आवश्यक

३१ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



वस्तुओं को जुटाना अनिवार्य हो जाता है । तब ऋण लेने, अनैतिक आचरणों पर उतरने, पूँजी को बेरहमी से समाप्त करके परिवार की स्थिरता को तहस-नहस कर डालने जैसी परिस्थितियाँ सामने आ खड़ी होती हैं ।

नशेबाजी आर्थिक दुर्व्यसनों में सर्वविदित है । उस कुटेव के अभ्यासी इतना पैसा गंवाते हैं जिसे बचाकर घर के दूसरे जरूरी काम पूरे किये जा सकते थे, सुरक्षा और सुनिश्चितता मजबूत की जा सकती थी, पर होता ठीक उल्टा है । स्वास्थ्य दिन-दिन चौपट होता जाता है, मानसिक दक्षता पलायन करती और बौद्धम स्तर का बनाकर छोड़ती है । परिवार में कलह बना रहता है, सन्तान पर कुसन्सकार पड़ते हैं, समाज में अप्रमाणिक तिरस्कृत समझा जाता है । इन सबके अतिरिक्त तात्कालिक हानि यह है कि आवश्यक कार्यों के लिए पैसे-पैसे को तरसना पड़ता है ।

यह चर्चा एक नशेबाजी के दुर्व्यसन की हुई, क्योंकि वह बहुचर्चित और सर्वविदित है । इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक छद्म फिजूलखर्चियाँ हैं जो अमीरी प्रदर्शन की, शेखीखोरी की आड़ बनाकर आवश्यक ही नहीं समझी जातीं वरन् प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनती हैं । चूँकि अमीरों को अधिक सुखभोग करते देखा जाता है और उनका अनगढ़ लोगों के बीच सम्मान भी अधिक होता है । इस माहौल में गरीब लोग भी अमीरों जैसा स्वांग करने के लिए वे आडम्बर बनाते हैं जिससे गरीबी छिपी रहे और अमीरी का विचित्र मुखौटा लोगों को भ्रमाने में किसी कदर सफल हो सके । इस प्रवंचना-विडम्बना के फेर में पड़े हुए लोग फिजूलखर्ची की उन गतिविधियों को अपनाते हैं जो आर्थिक तंगी पड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार उचित नहीं थी ।

फैशने जेबर, शृंगार, ठाठ-बाट इसी श्रेणी में आते हैं । इन सब के बिना आसानी से काम चल सकता है । फिर भी लोग उन्हें प्राथमिकता देते देखे गये हैं ताकि देखने वालों की आँखें धूलि पड़ने

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ३२



की तरह अधमुदी रह सकें, गरीबी दीखने न पाये और अमीरी का ओढ़ा हुआ लबादा वास्तविक प्रतीत होने लगे । औरतों के सजधज पर बेशुमार खर्च होता है । मर्द भी अपने को साहब दिखाने या अमीरों की श्रेणी में गिने जाने के लिए विचित्र आडम्बर बनाते देखे जाते हैं । अमीरों के पास अनावश्यक दौलत होने के कारण वे लोगों की आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करने और अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के निमित्त वे कितना ही निरर्थक खर्च कर सकते हैं, पर उन्हें क्या कहा जाये जो वस्तुतः हैं तो गरीब पर अमीरी का लबादा ओढ़ने भर से अपनी वस्तुस्थिति कुछ से कुछ दिखाने की जादू विद्या चलाने पर विश्वास करते हैं ?

विडम्बनाओं में खुले हाथ से पैसा खर्चने वाले आवश्यक कार्यों के लिए बचत हाथ में न रहने पर परेशान तो होते ही हैं, साथ ही खाई पाटने का और कोई तरीका न सूझ पड़ने पर अपनी औकात के अनुरूप बेईमानी, चोरी, जालसाजी करने पर उतर आते हैं । ऐसे फिजूलखर्च लोगों को मोटी दृष्टि से अप्रमाणिक, अविश्वस्त और अदूरदर्शी माना जाता है । चापलूसों की वाहवाही लूटने के अतिरिक्त उन्हें किसी समझदार से न तो प्रतिष्ठा ही मिलती है और न सहानुभूति ही । फिजूलखर्ची को यों अपराधों की श्रेणी में गिना नहीं जाता है, पर वस्तुतः वह है अनैतिक ही । अनधिकार चेष्टा को तिरस्कृत तो किया ही जाना चाहिए । यह भ्रम हर किसी को मन से निकाल ही देना चाहिए कि वस्तुस्थिति को देर तक छिपाये रखा जा सकता है । प्रवंचना मात्र कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ही मूर्ख बनाये रह सकती है, उसकी पर्त हवा के एक झोंके में ही उड़ जाती है ।

नकल बनानी हो तो उन फिजूल खर्चों की क्यों बनानी चाहिए जो आये दिन दिवालिया होते, अपराध करते और अविश्वास-असहयोग की भर्त्सना भुगतते रहते हैं । नकल उनकी क्यों न की जाये जो 'सादा जीवन उच्चविचार के सिद्धान्त को अपनाकर सज्जनता की प्रतीक



समझी जाने वाली सादगी को अपनाते और आदर्शवादिता के कारण हर किसी की नजर में विश्वस्त, श्रद्धास्पद और दूरदर्शी समझे जाते हैं ।

प्रचलित औंधी मान्यता को सीधी करके देखा जा सके तो प्रतीत होगा कि प्रायः आधा खर्च इसी फिजूलखर्ची वाली विडम्बना में लुट जाता है । औचित्य की कसौटी पर कसकर अपने खर्चों को नये सिरे से निर्धारित किया जा सके तो प्रतीत होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिकताओं में जितना खर्च होता है उसकी तुलना में अमीरी आडम्बरो की संरचना में प्रायः उतना ही खर्च हवा में उड़ जाता है । इसे यदि दूरदर्शिता का अंकुश लगाकर रोका जा सके तो खर्चों में कटौती हो जाने पर वह लाभ मिलने लगता है जो आमदनी बढ़ने पर सम्भव होता है । कम आमदनी वाले भी वजट संतुलन सही करके अपनी निर्वाह की बिना इज्जत और ईमान गँवाये किसी न किसी प्रकार व्यवस्था बिठाये रह सकते हैं । परिस्थितियों के अनुरूप बजट संतुलन बनाकर चलना ऐसी समझदारी भरा उपचार है कि उसके रहते कम आमदनी में भी बिना विक्षोभ का जीवन जिया जा सकता है ।

आमदनी बढ़ाना उचित है । इसके लिए श्रमशीलता, दक्षता और जिम्मेदारी का अपने क्रिया-कलाप में समावेश करने पर अधिक उपार्जन का अवसर हर परिस्थिति में मिल सकता है । उसका उपयोग उन मर्दों में बढ़ोत्तरी करके करना चाहिए जो जीवन स्तर को वस्तुतः बढ़ाते हैं । कुपोषण से बचा सकने वाला आहार प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों का चयन और उन्हें पकाने के रिवाज में थोड़ा सा सुधार कर लेने भर से पौष्टिकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुधारने का अवसर मिल सकता है । कपड़े भले ही सस्ते मूल्य के हों, पर साफ-सुथरे रखने के लिए साबुन की मद में बढ़ोत्तरी की जा सकती है । रहने के घरों को हवा-रोशनी का प्रवेश कर सकने योग्य बनाने के लिए उनमें उलट-पुलट की जा सकती है । घर के हर सदस्य को साक्षर-शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा संवर्धन हेतु पुस्तकें-पत्रिकायें खरीदने में भी खर्च

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ३४



बढ़ाया जा सकता है । कला संगीत जैसे उल्लस पैदा करने वाले साधन घरों में रहें तो अच्छी बात है । बिस्तर आदि में जो कमी पड़ती हो उसकी पूर्ति की जा सकती है । इस प्रकार बचत की बात सोचना और आवश्यक कार्यों में उसका सही उपयोग करना किसी भी विज्ञ व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है ।

बच्चों की संख्या न बढ़ने से भी गरीबी आसानी से टल सकती है । इस मँहगाई के जमाने में हर बच्चे पर उसके स्वावलंबी होने तक का औसत खर्च सैकड़ों रुपये महीने बैठता है । यदि बिना बच्चे के रहा जा सके तो गरीबी का आधा बोझ सहज ही हल्का हो सकता है । पत्नी को आये दिन बीमार पड़े रहने के संकट से बचाया जा सकता है और निर्धनता की मार से मरने वाले बच्चों का भविष्य अन्धकारमय बनाने से बचा जा सकता है । उस बचत को पति-पत्नी एक दूसरे को अधिक समुन्नत बनाने में, परिवार की स्थिति सुधारने में लगा सकते हैं-यह सभी विकल्प उत्साहवर्धक हैं ।

धूमधाम की दहेज-जेबर वाली शादियों को तो प्रत्यक्ष बरबादी का निमंत्रण देना ही समझना चाहिए । मृतक भोज, मेले-ठेले, नाते रिस्तेदारों, अलन-चलन बड़े भोज जैसी सामाजिक कुरीतियाँ भी ऐसी हैं जो अन्ध परम्पराओं के अनुगामी को किसी भी खुशहाली की स्थिति तक पहुंचने नहीं दे सकतीं । इन कुरीतियों और अपव्ययों दुर्व्यसनों के रहते आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पायेगी भले ही आमदनी बढ़ाने के कितने ही उपाय किये जाते रहें । फूटे हुए घड़े में पानी टिकता कहाँ है ?

गरीबी ने अशिक्षा को बढ़ाया है या अशिक्षा से गरीबी बढ़ी है ? इस विवाद में न पड़कर हमें यह मानना चाहिए कि दोनों ही साथी सहोदर और अविच्छिन्न हैं । जहाँ एक रहेगी वहीं दूसरी अड्डा जमायेगी ही । इसलिए गरीबी उन्मूलन के साथ शिक्षा सम्बर्धन को भी एक गाड़ी के दो पहिए मानना चाहिए । किसी भी भली-बुरी दिशा में एक साथ उठने वाले दो कदम मानना चाहिए तथा दोनों का समन्वित



उपचार करना चाहिए। उपार्जन भी बढ़ाना चाहिए और अध्ययन भी। गरीबी भी हटनी चाहिए और अशिक्षा भी मिटानी चाहिए।

आजीविका उपार्जन के साथ जुड़ी हुई शिक्षा का ढाँचा हमें नये सिरे से नई सूझ-बूझ के साथ खड़ा करना चाहिए। किसी समय हाकिमों, काले साहबों की पूर्ति कर सकने वाले ढूँढ़े और पढ़ाये जाते थे, पर अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आई. ए. एस. अफसर बनने का सपना सँजोये रहने वाले लड़कों में से प्रायः सभी को निराश होना पड़ता है। इसी प्रकार अभिनेत्री या मेम साहब बनकर उड़ी फिरने की कामना सँजोये रहने वाली लड़कियों को भी गृहस्थ में प्रवेश करते समय सर्वथा उल्टी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में विक्षोभों की बाढ़ आना स्वाभाविक है। लम्बा समय, भारी श्रम और विपुल धन खर्च करके प्राप्त होने वाली ऐसी शिक्षा की विशेषतया देहाती क्षेत्रों में उपेक्षा ही की जानी चाहिए, जो शिक्षार्थी का मानस धरती पर चलने वाला न रहने देकर आकाश में उड़ने के सपने, इच्छा या अनिच्छापूर्वक दिखाती है। बाल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा का स्तर कुछ भी क्यों न हो, पर उनमें गरीबी उन्मूलन के लिए साहस जुटाने एवं मानस बनाने के तत्व अनिवार्य रूप से जुड़े रहने चाहिए।

कृषि अनुत्पादक नहीं हो सकती, पशुपालन घाटे का सौदा नहीं है। कुटीर उद्योगों का दायरा उतना छोटा नहीं कि वह खाली हाथों को कोई काम न दे सके और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में समर्थ सिद्ध न हो सके। पिछले दिनों विज्ञान के अनुसंधान में और निर्धारण के क्षेत्रों में भारी प्रगति हुई है। उसकी जानकारी एवं प्रयोग विद्या से अपने ग्रामीण क्षेत्र प्रायः अपरिचित एवं अनभ्यस्त ही क्यों बने हुए हैं? इस अन्धकार को प्रकाश में बदलना उस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो ग्रामीण स्तर की अधिकांश भारतीय जनता के लिए अपनी तात्कालिक उपयोगिता सिद्ध कर सके। जिस प्रकार

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ३६



कृषि और मजदूरी के पुराने तरीकों में समय के अनुरूप परिवर्तन लाने की जरूरत है उसी प्रकार यह भी अनिवार्य है कि कुटीर उद्योगों को प्रचलन देने वाला उपभोक्ताओं का मानस बने । यह कार्य स्कूली शिक्षा के माध्यम से भी हो सकता है और उस समर्थ प्रचार तन्त्र द्वारा भी जो नई परिस्थितियों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण एवं क्रिया कलाप बदलने के लिए, जन-जन को प्रशिक्षित, उत्साहित एवं तत्पर बनाने के लिए प्रभावी भूमिका उत्पन्न करता है ।

शिक्षा प्रकरण भी अनेक प्रचलित रूढ़ियों की तरह अपने ढर्रे पर चल रहा है । आजीविका-उपार्जन के सन्दर्भ में नये सिरे से सोचने और सामयिक परिवर्तन करने की चेतना जागृत ही नहीं हुई है । स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दौड़ता समय बहुत आगे निकल जायेगा और हम टस से मस न होने की स्थिति अपनाकर पिछड़ापन और भी अधिक गहराते हुए देखने के लिए बाधित होंगे । समय सदा गतिशील रहा है । इन दिनों तो वह अत्यधिक द्रुतगामी हो रहा है । इन परिस्थितियों में समय के साथ चलने के लिए हमें भी अपना मानस विनिर्मित करना चाहिए और जो छोड़ना अपनाना है उसके लिए प्रगतिशीलता अपनानी चाहिए ।

इस स्तर की लोक चेतना जगाने में संतुलित शिक्षा की महती भूमिका हो सकती है । उसमें जीवन विद्या एवं लोक व्यवहार से सम्बन्धित सभी तत्वों के सघन समावेश को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इस हेतु उसे बौद्धिक भी होना चाहिए और अभ्यास परक भी । विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की ही तरह यह भी आवश्यक है कि उनमें मानवी मर्यादा और गरिमा को हृदयंगम कराने वाली नीति निष्ठा एवं सामाजिकता से संबंधित तत्वज्ञान का समावेश हो । जीवन के साथ जुड़ने वाली अनेकानेक समस्याओं के परिस्थितियों के अनुरूप समाधान प्रस्तुत किये जायें । शालीनता और सुव्यवस्था के दोनों ही पथ समान रूप से उपयोगी हैं । व्यक्तित्व परिष्कार एवं प्रतिभा-



परिवर्धन विश्वमानव की महती आवश्यकता है, जिसे स्कूल पाठ्यक्रम-प्रेरक साहित्य एवं अन्यान्य प्रचार साधनों द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए ।

इस सन्दर्भ में अनिवार्य आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम्य जीवन को सुविकसित करने वाले सभी सिद्धान्तों, निर्धारणों एवं उपचारों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध हो । साथ ही आजीविका उपार्जन के उन आधारों से लोकमानस को प्रशिक्षित किया जाये जो वर्तमान परिस्थितियों की सीमा के अन्तर्गत ही उपलब्ध साधनों के सहारे प्रगति की दिशा में निर्वाह रूप से गतिशील होंगे । इस हेतु कृषि, पशु पालन से लेकर कुटीर उद्योगों तक का ऐसा प्रशिक्षण चलना चाहिए जो उत्पादक भी हो, जिसे स्कूल छोड़ने के उपरान्त शिक्षार्थी बिना किसी अड़चन के कार्यान्वित कर सकें, अधिक लाभ उठा सकें और प्रस्तुत अभावग्रस्तता की पिछड़ी स्थिति से ऊँचा उठने में समर्थ हो सकें ।

अच्छा हो ऐसी शिक्षा नीति सरकार द्वारा अपनाई और प्रस्तुत शिक्षण तन्त्र का अनिवार्य अंग बनाई जा सके । पर यदि वैसा बनता दीख न पड़े तो इस तंत्र को जन साधारण के सहयोग से विचारशील लोग अपने बलबूते भी खड़ा कर सकते हैं । अग्निकाण्ड के समय जब फायर ब्रिगेड यथा समय पहुँच नहीं पाती तो घड़े भरकर पानी उड़ेलते और धूलि की पोटलियाँ तो फेंकते ही हैं । अनेकानेक निजी कार्यों की व्यवस्था जुटाने की तरह आजीविका बढ़ाने वाली, गरीबी हटाने वाली शिक्षा पद्धति किसी न किसी रूप से हर कहीं खड़ी की भी जानी चाहिए ।

## दरिद्रता एक चुनौती

बीमारी जब आती है तब अकेली नहीं होती, अनेक परेशानियाँ और संकट लेकर आती है । गरीबी यदि अकेली होती तो अपरिग्रह वृत्ति जैसी तपश्चर्या कहलाती, पर चूँकि वह आमतौर से पिछड़ेपन से जुड़े हुए अनेक कुसंस्कारों के सहित होती है, इसलिए उस विकृतियों गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ३८



के समुच्चय को तिरस्कृत किया और दरिद्रता के नाम से पुकारा जाता है । अभावग्रस्त व्यक्ति एक प्रकार की दीनता और हीनता का मानस बना लेता है । वह डरा, झिझका, सकुचा, दबा और पछताता जैसा रहता है इस लिए उसके स्वभाव में और अधिक गन्दगी और अव्यवस्था भी उसके साथ लिपट जाती है । यहाँ तक कि उससे छूटने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने का साहस तक शेष नहीं रह जाता । इन कारणों से वह चिरस्थायी जैसी ही बन जाती है । उन गुणों का भी अपहरण करती है जो विकास में जुटने और प्रगति-पथ पर अग्रसर होने आवश्यक हैं ।

दार्शनिक और अध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ-तहाँ धन की निन्दा भी की गई है, पर उसका तात्पर्य उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं वरन् यह है कि कमाई अनीति-उपार्जित न हो । अर्जित धन का व्यक्तिगत रूप में अनावश्यक संग्रह न किया जाए और उपयोग करते समय यह ध्यान रखा जाय कि अनुपयुक्त परम्परायें बनाने वाला अपव्यय तो नहीं किया जा रहा है ? इन अनुबन्धों को तोड़ने वाले की ही निन्दा की गई है । प्रतिपादन कर्त्ताओं का उद्देश्य यह नहीं है कि पुरुषार्थ का परित्याग करके दरिद्रता का वरण किया जाये । धन सम्बन्धी कई प्रतिबन्ध साम्यवाद में भी लगाये गये हैं, पर उस दर्शन में भी राष्ट्रीय पूँजी जुटाने, उसके उपयोग द्वारा व्यक्तित्वों को समर्थ बनाने एवं राष्ट्रीय सम्पन्नता बढ़ाने के लिए और उस दिशा में शक्तिभर प्रयत्न करने को प्रोत्साहित किया गया है ।

श्रुति का वचन है कि 'सौ हाथों से कमायें और उसे हजार हाथों से खर्च करें' अर्थात् उपयुक्त मार्ग से प्रचुर परिमाण में वैभव अर्जित किया जाये किन्तु उसके साथ लोभ-लिप्सा, विलासिता-तृष्णा, कृपणता आदि का समावेश न होने दिया जाये । अभ्युदय के उपक्रमों में पूँजी के बिना काम नहीं चलता । फिर वह प्रबल प्रयत्नों के बिना अर्जित कहाँ होती है ? अस्तु उचित उत्पादन को सर्वत्र प्रोत्साहन



दिया जाता है । परमार्थ परायण संत तक सत्प्रवृत्ति सम्बर्धन के लिए दान-दक्षिणा जैसे माध्यमों से पूँजी जुटाते हैं । राज तंत्र की तरह धर्म तन्त्र भी बिना साधन जुटाये अग्रसर नहीं हो सकता । फिर व्यक्तिगत जीवन को अधिक परिष्कृत और समुन्नत बनाने के लिए भी तो बढ़े-चढ़े साधन चाहिए । यदि वे न जुटें तो फिर दरिद्रता ही गले बंधेगी और निर्वाह की दृष्टि से अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़ेगा । स्वास्थ्य संवर्धन, विद्वता अर्जन, कला-कौशल का अभिवर्धन मँहगे साधनों की अपेक्षा रखता है । परिश्रम करने से ही तो सारी व्यवस्था नहीं बन जाती ? उपयुक्त अवसर प्राप्त करने, उपयुक्त वातावरण के साथ सम्पर्क साधने के लिए भी तो पैसा चाहिए । पुस्तकें खरीदने से लेकर पूजा अर्चना के लिए सामग्री जुटाने और दान-पुण्य करने आदि के लिए भी तो धन की अपेक्षा रहती है । परिवार पालने, आश्रितों को सुयोग्य बनाने, बुजुर्गों की सेवा-सहायता करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ही । अस्तु उपार्जन हर किसी के लिए आवश्यक है ।

धन की उपयोगिता समझते और आवश्यकता अनुभव करते हुए भी उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है ? आर्थिक प्रगति क्यों नहीं हो रही है ? इस संदर्भ में कई मनोवैज्ञानिक समस्यायें अड़ गई हैं । तथाकथित सन्त-महात्माओं द्वारा गृहत्याग-वैराग्य का प्रतिपादन करते-करते बात का बतंगड़ इस प्रकार बना दिया गया है कि धन के प्रयासों को लोभ का नाम देकर हेय ठहरा दिया है । यद्यपि वे स्वयं पैसा पाने के लिए अनेक प्रपंच करते रहते हैं, पर दूसरों को धन का दान कर देने और खाली हाथ रहने की शिक्षा देकर इतने असमंजस में डाल देते हैं कि प्रभावित लोग उपार्जन से जी चुराने लगें । इस संबंध में आलस्य और भी सहायक बन जाता है । घर में एक दो कमाऊ सदस्य होते ही ढलती आयु वालों से काम लेना बंद करा देने में भी बड़प्पन माना जाता है । रिटायर स्तर के लोग पेन्शन पर सन्तोष कर लेने पर बुढ़ापे

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ४०



की दुहाई देकर कुछ उत्पादक काम करने से इन्कार कर देते हैं । नव वधू के आते ही प्रौढ़ महिलायें भी काम करने में हेठी समझने लगती हैं । जिठानी-ननद आदि बड़े स्तर की महिलायें भी नव-वधू के रहते स्वयं कुछ भारी काम करने में अपनी तौहीन समझती हैं । श्रम करने में बड़प्पन घटने की मान्यता तो पिछले काफी दिनों से चली आ रही है । ऐसे-ऐसे ही अनेक कारण समर्थ लोगों को भी श्रमशील होने से रोकते हैं ।

आर्थिक आवश्यकता अनुभव करते हुए भी काम से जी चुराने का दोष लोकमानस में ऐसी जड़ जमा चुका है कि लोग या तो तंगी भुगतते हैं या फिर दूसरों पर भार बनते हैं । बहुत हुआ तो ऐसे कार्य करने लगते हैं जिन से छल-प्रपंच रचने जैसी सुगम विधियाँ ढूँढ़कर उल्लू सीधा करते रहें । भूत-पलीत झाड़ने वाले, टोना-टोटका, भविष्य कथन, देवी-देवताओं से मनोकामना पूरी करने का सब्जबाग दिखाने के प्रयत्न इसी श्रेणी में आते हैं जो धन पाने का इच्छक तो हैं, पर उसके लिए पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं । जुआ फँसने, लाटरी खुलने, जमीन में गढ़ा खजाना निकलने जैसे दिवास्वप्न देखने वाले भी कल्पनायें तो आकाश-पाताल जैसी करते रहते हैं, पर मेहनत करने का वक्त आने पर इस प्रकार पसर जाते हैं मानो साँप सूँघ गया हो । हराम की कमाई में, बाप दादों की जायदाद पर झगड़ा और बेटे के विवाह में दहेज माँगने जैसी अनैतिक सूझ भी ऐसे ही लोगों को सूझती है जिन्हें धनी तो बनना अभीष्ट है पर परिश्रम वाला रास्ता अपनाना स्वीकार नहीं । बड़े अपराध तो दुस्साहसी ही करपाते हैं, पर विक्रय की वस्तुओं में मिलावट करने, कम तौलने, कम नापने, झाँसा-चकमा देने जैसे सुगम छल-कपट अपना लेने में बहुतों को संकोच नहीं होता ।

निर्धारित मजूरी लेकर जितना श्रम करने का विश्वास किया गया था बहुधा श्रमिक उससे जी चुराते हैं । इस कामचोरी ने श्रमिक वर्ग



पर से भी विश्वास उठा दिया है । पूरा काम न करने और अधिक पैसा पाने के फेर में आये दिन काम करने और कराने वालों के बीच कलह उनी रहती है । इसका सीधा परिणाम होता है-उत्पादन कम होना, उसकी लागत में असाधारण वृद्धि हो जाना । यह कुचक्र अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को चरमरा देने का कारण बनता है । रिश्वत की भरमार, चालाकी से भरी दलाली जैसे कृत्य से व्यवसाय की साख गिरती है और ग्राहक फूँक-फूँककर कदम रखते हैं । दूध का जला छाछ फूँक-फूँककर पीता है । गृह उद्योगों का माल खरीदने की अपेक्षा मँहगा किन्तु भरोसे का माल खरीदकर बेकार का सिरदर्द मोल लेने से बचता है । इसी झंझट में शहद और घी जैसी आवश्यक वस्तुएँ भी असली न मिलने के कारण जो माल मारा-मारा फिरता है उसे भी लेने से लोग इन्कार कर देते हैं । शुद्ध दूध न मिलने के कारण खरीददार डिब्बा बन्द दूध मँहगा मिलने पर भी मँगाते हैं । इस अविश्वास हीनता के वातावरण में सामान्य जनों द्वारा अपनाये गये उद्योग धन्धे उपेक्षित रहते हैं । उन परिस्थितियों में उद्योगों का पनपना और उनके सहारे आजीविका मिलना अच्छे के लिए भी कठिन हो जाता है ।

इन मनोवैज्ञानिक अड़चनों और विश्वास गँवा बैठने वाले प्रचलनों का परिणाम यह होता है कि गृह उद्योगों के पनपने का द्वार ही एक प्रकार से बंद हो जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि लोक मानस में घुसी उपरोक्त स्तर की अवांछनीयता को निरस्त कर सकने वाले ऐसे प्रचण्ड आन्दोलन को जन्म दिया जाये जो जन-जन में कठोर श्रम करने और उत्पादन बढ़ाने की ललक जगाये । अवांछनीय मान्यताओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध होकर वातावरण को बदलकर ही दम लें ।

शिक्षितों की बेकारी अपने ढंग की अजीब समस्या है । वे कुर्सी मेजों पर बैठकर ही काम करना चाहते हैं । उन्हें नौकरी के अतिरिक्त और कुछ पसंद नहीं । पैत्रिक धन्धा अपनाने में उन्हें हेठी लगती है ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ४२



परिश्रम वाले काम करने में उन्हें अपनी पढ़ाई व्यर्थ गई प्रतीत होती है । किन्तु नौकरियाँ इतनी कहाँ से आयें जो हर साल स्कूल-कॉलेजों से निकलने वाले सभी को काम दे सकें । पढ़ाई का अर्थ आरामतलबी का सुयोग मिलना समझा जाता है । यह बीमारी शिक्षित लड़कियों पर भी सबल होती जा रही है । घर-गृहस्थी का, उद्योग-व्यवसाय का भारी काम करना उन्हें भी रास नहीं आता । शिक्षित लड़कियाँ शहरों में घर बसाना चाहती हैं, ताकि बिना परिश्रम किये जिन्दगी गुजारने की सुविधा मिलती रहे । दहेज की बढ़ोत्तरी होते जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग आराम तलबी की सुविधा देखकर ही अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहते हैं और उस मनोरथ की मँहगी कीमत चुकाते हैं ।

देश की, जनसाधारण की अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिए, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि श्रम का सम्मान करने वाला मानस बने । प्रश्न काम तलाशने का नहीं वरन् यह है कि परिश्रम-लगन, सूझबूझ और ईमानदारी के साथ जो भी काम सामने हो उसे करने लगा जाये, उसके साथ स्वालंबन का, आत्म-गौरव का उज्ज्वल भविष्य का दर्शन किया जाये । यह केवल पैसा कमाने भर की बात नहीं है वरन् तत्परता अपनाने वालों का समग्र व्यक्तित्व निखरता है और प्रतिभा का अभिवर्धन हुआ ही परिलक्षित होता है ।

‘बैठे से बेगार भली’ वाली उक्ति में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित है । आरंभ में छोटा काम मिले तो हर्ज नहीं, उसके सहारे अपने स्वभाव का परिष्कार तो होगा ही । लगन के साथ जो भी काम किया जाता है वह करने वाले की दक्षता बढ़ाता है और क्रमशः ऐसे अवसर प्रदान करता चला जाता है कि गौरवान्वित करने वाली प्रगति खिंचती-दौड़ती पास चली आये । संसार के सभी प्रगतिशीलों का इतिहास इसी उपक्रम पर आधारित रहा है ।

परम्परागत उद्योग व्यवसायों से लेकर आज की बढ़ती हुई



आवश्यकताओं के अनुरूप अनेकों ऐसे क्रिया कलाप उभरे हैं जिनमें से अपनी योग्यता, रुचि और परिस्थिति के अनुसार किसी को भी अपनाकर अर्थोपार्जन का शुभारंभ किया जा सकता है। बचत भी एक प्रकार की आजीविका ही है। घर-परिवार को सुव्यवस्थित बनाने के सन्दर्भ में भी कितने ही ऐसे नये कार्य हस्तगत हो सकते हैं जो आलस्य की मनःस्थिति में कभी सूझे ही नहीं। उपेक्षा के कारण ऐसी अस्त-व्यस्तता बनी रही जिसे दरिद्रता की साक्षात् प्रतिमूर्ति कही जा सके।

निर्धनता को अर्थ साधन जुटाकर दूर किया जा सकता है किन्तु दरिद्रता इस पर भी पीछा छोड़ने के लिए सहमत नहीं होती। वह अकेली तो रहती नहीं, सात सहेलियों के साथ जो चलती है। दीनता-हीनता, मलीनता, खिन्नता, विपन्नता, नीरसता, निष्ठुरता जैसी अनेकों दुष्प्रवृत्तियाँ भी उन्हें घेरती हैं जो निर्वाह के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपार्जन कर सकने से वंचित बने रहते हैं। यह वस्तुतः किसी भी पुरुषार्थी के लिए एक चुनौती है कि हाथ-पैर सही रहते हुए भी मस्तिष्क के विक्षिप्त न रहने पर भी कोई अपने लिए आवश्यक उपार्जन क्यों न कर सका? बाधित करने वाली परिस्थितियों में जकड़ जाने के अपवाद तो कभी-कभी ही होते हैं। सामान्यतया परिस्थिति ऐसी ही बनी रहती है कि यदि समझदारी साथ दे, काम के लिए भुजायें फड़कें और छोटे कहलाने वाले कार्यों में भी लज्जा संकोच का अनुभव न हो तो आजीविका-उपार्जन हर किसी के लिए सरल-सुगम हो सकता है। दरिद्रता बताती है कि उसके बहाने से कहीं कोई ऐसी खोट घुस पड़ी है जिसने सरल को कठिन और संभव को असंभव बना दिया है, आवश्यकता इनको दुहराने की है।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ४४



## उचित उपार्जन से आत्म-गौरव का संवर्धन

प्राचीनकाल के शिक्षा गुरुकुलों में प्रवेश पाने के साथ ही विद्यार्थियों को इतना श्रम करना पड़ता था कि वे अपने निर्वाह जितना अर्जन अपने बलबूते पर कर लिया करें। ऐसी स्वावलंबी शिक्षा ऐसा साहस प्रदान करती थी जिससे श्रम की महत्ता और समर्थता अनुभव करने का अवसर पढ़ने वालों को पाठ्यक्रम पूरा करने के दिन से ही प्राप्त होता रहे और भावी जीवन में सत्प्रवृत्तियों के रूप में विकसित होकर काम आये।

स्वयं काम से जी चुराना और अपने प्रियजनों को लाड़ दुलार के वशीभूत होकर काम न करने देना। वस्तुतः उनका अहित करना ही है। आरम्भ से ही स्वभाव बिगड़ जाने पर, बड़ा होने पर उसका सुधार कठिन हो जाता है। अरामतलबी दिमाग को और पस्त कर देती है। अमीरों के लड़के पलते तो सुख-सुविधाओं के बीच हैं, पर उनमें प्रतिभा क्षीण स्तर की पाई जाती है। अनुपयोगी दुर्व्यसनों में खाली समय का उपयोग करके कोई निरर्थक प्रयोजनों में तीस मार खाँ भले ही न बन लें, पर जब उन्हें सृजन की योजनाएँ सौंपी जायें तो बगलें झाँकने लगते हैं। देखा गया है कि परिश्रमी पीढ़ी ने बड़ी-बड़ी सफलता पाई, पर उनके लाड़-दुलार में पली दुर्व्यसनी संतान ने जो उत्तराधिकार में पाया था उसे फुलझड़ी की तरह जलाकर उथले मनोरंजनों में खर्च कर दिया और अमीरी गँवाकर गरीबी में रहने के लिए बाधित हो गये। यह दुर्भाग्य या संयोग नहीं है वरन् एक जानी-बूझी क्रिया-प्रतिक्रिया है, जिसके अनुसार कामचोरी दरिद्रता में बदल जाती है। ऐसी स्थिति में दूसरों से सहायता और सहानुभूति मिलना तो दूर, उल्टे यह समझा जाता है कि इस प्रकार की छूत कहीं अपने को न लग जाये। दरिद्रता मुनादी करती फिरती है कि प्रमुख कारण साधनों के अभाव में नहीं वरन् समय और श्रम को सुनियोजित न

४५ / गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ



करने वाली अस्तव्यस्तता में समाहित हैं । परिस्थिति सुधारी जानी चाहिए । पिछड़ों को सहारा देना चाहिए । यह सहयोग मानवी कर्तव्यों में सम्मिलित है जिसे उपेक्षा न बरत कर अपनाते ही रहना चाहिए, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि बाहरी सहायता तभी अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करती है जब उसे पचाने की क्षमता ग्रहणकर्ता में हो । अन्यथा बिना मेंड़ वाले खेत में गिरा हुआ घनघोर वर्षा का जल भी इधर-उधर बहकर कहीं से कहीं जा पहुंचेगा और खेत पानी की कमी से सूखते ही रहेंगे ।

ध्रुवों और पर्वतों की घाटियों पर रहने वाले उन विषम परिस्थितियों में भी निर्वाह के साधन जुटा लेते हैं । वनों में रहने वाले पुरातन काल के ऋषि-मुनि उन्हीं क्षेत्रों में अपने आश्रमवासियों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कर लेते थे, आगन्तुक-अतिथियों के लिए भी उनके द्वार खुले रहते थे । प्रकृति ने सदा मनुष्य का सहयोग किया है । उसकी व्यवस्था में तो यह भी नियम है कि प्राणियों में से कोई भूखा सोने न पाये, भले ही उसे भूखा उठना पड़े । फिर मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणी को यह शिकायत क्यों होनी चाहिए कि उसे अभावग्रस्तता के बीच जीना पड़ रहा है ? इसके लिए दोष उन्हें भी दिया जा सकता है जिनके कारण प्रतिभा विकास का अवसर मिलने में अड़गे खड़े किये गये, अधिकार और अवसर छीने गये । इतने पर भी प्रधान बाधा, अपने श्रम-कौशल को विकसित-सुनियोजित न कर पाना ही है ।

खिले हुए पुष्प की शोभा और सुगन्ध से सभी आकर्षित होते हैं और उसे पाने के लिए ललचाते हैं । ठीक उसी प्रकार समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार साथी-सहयोगी की तलाश हर किसी को रहती है उसे वह भाग्योदय की तरह खोजता है । जिसको ऐसा सहयोगी मिला तो समझना चाहिए कि उसका सचमुच भाग्य ही खुल गया और अनेक सफलताओं से भरापूरा भण्डार हाथ लग गया ।

गरीबी भगाएँ, गरिमा बढ़ाएँ / ४६



अपने को इस स्थिति का बना लेना हर किसी के अपने हाथ की बात है । शरीर से कठोर श्रम, मस्तिष्क से काम को उच्चस्तरीय बनाने की ललक एवं मनोयोग जहाँ भी लगेगा वहाँ कौशल अनायास ही बढ़ेगा । इन सब का मिला-जुला समुच्च उस लक्ष्य तक पहुँचना है जहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है । अधिक आर्थिक लाभ कमा सकना भी इन्हीं परिस्थितियों में संभव होता है । प्रमाद तो आलस्य वश हाथ में आये सुयोगों को भी गंवाता रहता है । परिस्थितियों का अनुकूल प्रभाव अपने हाथ में नहीं रहता, पर यह संभव है कि गई गुजरी स्थिति में भी दृष्टिकोण को ऊँचा रखा जाये । सत्प्रवृत्तियों को गिरने न देकर उन्हें संभाल कर उठाते रहा जाय । इतना बन पड़े तो भी समझना चाहिए कि परिस्थितियों की प्रतिकूलता देर तक नहीं टिक सकती ।

मनुष्य आराम, मनोरंजन के अवसर ढूँढता रहता है इसके लिए जी बहलाने वाले कितने ही सरंजाम जुटाता है और ऐसे वातावरण में जा पहुँचने के लिए प्रयास करता है । इतने पर भी वह सब बन पड़ेगा या नहीं यह ठीक से कहा नहीं जा सकता, पर यह हो सकता है कि आधे कर्मों को मनोरंजन बना लिया जाय । उन्हें खिलाड़ी जैसी तत्परता बरतते हुए किन्तु मन को हल्का-फुल्का रखते हुए किया जाय तो इच्छित प्रसन्नता निरंतर करतलगत बनी ही रहेगी । साथ ही जो अधिक सराहनीय सफलतायें मिलेंगी वे प्रकारान्तर से अधिक लाभ अर्जित करने का निमित्त कारण बनेंगी ।

कमाई निजी खर्च के लिए ही सीमित रखी जाय तो वह भार भूत बन सकती है उचित आवश्यकतायें तो सीमित ही रहती हैं । अधिक उपार्जन को यदि अपने लिए ही खर्च करना हो तो ऐय्याशी, अपव्यय, अहंकारी प्रदर्शन, दुर्व्यसन आदि के रास्ते ही खर्च हो सकती है । वह व्यसनी अपव्यय किसी को भी फलता नहीं उल्टा व्यक्तित्व को निरंतर गिराता चलता है । दुर्व्यसनियों का पतन ही होकर रहता है । वे



विचारशीलों की दृष्टि से गिर ही जाते हैं । इस प्रकार अधिक उपार्जन का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता जो उसे अपने ही निमित्त खर्च करना चाहते हैं । परिवार के लिए उत्तराधिकार में अतिमात्रा में संपदा छोड़ मरना उनके साथ किया गया एक अपकार ही है । फलती-फूलती तो वही कमाई है जो अपने निजी परिश्रम से नीति माध्यमों को अपनाकर अर्जित की गई है । अन्यथा वह बीमारी मुकद्दमे बाजी, दुर्व्यसन, ठाटबाट जैसे निरर्थक प्रसंगों के सहारे वहाँ जा पहुंचती है जहां कोई पहुंचना नहीं चाहता ।

महारानी विक्टोरिया निजी रूप से धन कुबेर थीं । पर वे खाली समय में अपने हाथों से गरीबों के लिए कपड़े सिया करती थीं । और उन्हें स्वयं बाँटते हुए उपकार का आनंद लिया करती थीं । राजा जनक हल चलाकर गुजारे का धान्य पैदा करते थे और राष्ट्रकोष का पैसा प्रजाहित में ही लगाते थे । बादशाह नसुरुद्दीन के बारे में भी ऐसा ही सुना जाता है कि वे टोपियां सींकर अपना काम चला लेते थे, और प्रजा के धन को उसी की भलाई के काम में खर्च करते थे । हम में से प्रत्येक की दृष्टि यही रहनी चाहिए कि श्रम उपार्जन के आधार पर औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपनायें और जो कुछ अतिरिक्त बचा रहता है उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन के परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित करते रहें यह न्यायोचित भी है । और मानवीय गरिमा के अनुरूप भी । साथ ही इस विधा को अपनाने पर जो हाथों हाथ आत्म संतोष मिलता है उसे किसी भी सांसारिक प्रसन्नता प्रदान करने वाले अवसर से कम नहीं आंका जाना चाहिए, ऐसी सदाशयता अपनाने वाले को जो श्रेय सम्मान मिलता है उसे स्वर्गीय आनंद के साथ जोड़ा जा सकता है । इसे प्राप्त कर सकना भी उन्हीं के लिए संभव है जो कठिन श्रम करके भी 'सौ हाथों से कमाते और लोक हित में हजार हाथों से खर्च करते हैं' ।



**मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा**

## : युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय :



ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें :  
[http://hindi.awgp.org/about\\_us](http://hindi.awgp.org/about_us)

- **विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता** : विचारों को परिष्कृत और ऊँचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान की शुरुआत की ।
- **वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार** : जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड् दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वीं प्रज्ञा पुराण की रचना भी की ।
- **3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक** : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया ।
- **युग-निर्माण योजना के सूत्रधार** : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी ।
- **वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता** : जिन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' स्थापित कर सिद्ध किया कि 'धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पुरक है' ।
- **'२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' के उद्घोषक** : जिन्होंने '२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' का नारा दिया तथा युग विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया ।
- **स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी** : जिन्होंने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 'श्रीराम मत्त' के रूप में प्रख्यात हुए ।
- **गायत्री के सिद्ध साधक** : जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को रुढ़ियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का आधार तथा सद्बुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया ।
- **तपस्वी** : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षों में सम्पन्न किया । प्रकृति प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया ।
- **अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक** : जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आत्मियता के सूत्र में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया ।
- **समाज सुधारक** : जिन्होंने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढ़ियों की समाप्ति हेतु अद्भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया ।
- **ऋषि परम्परा के उद्धारक** : जिन्होंने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की । लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया ।
- **अवतारी चेतना** : जिन्होंने 'धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण' की अवतारी घोषणा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोड़ों व्यक्ति उस ओर चल पड़े ।

**गायत्री परिवार** जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। **वसुधैवकुटुम्बकम्** की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है।